रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 11, 1968 (वैशाख 21, 1890)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 11, 1968 (VAISAKHA 21, 1890)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 19 अप्रैल 1968 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 19th April, 1968 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subjects
68	No 11 (1)-Tar/67, dt. the 11-4-68	Min. of Commerce.	Corrigendum to Extraordinary Gazette of 28th March 1968
69	No. 3(1)/67-BOT/P&P dt. 18-4-68.	-do-	Addition of Names to the Schedule I of this Ministry's Resolution No. 3(1)/67-BOT/P&P, dt. 13-1-68.
	सं० 3(1)/67 बी० ओ० टी०/पी० एण्ड पी०, दिनांक 18 अप्रैल 1968,	वाणिज्य मंत्रालय	व्यापार सलाहकार परिषद् संबन्धित इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 3(1)/67-बी० ओ० टी०/पी० एण्ड पी०, दिनांक 13 जनवरी 1968 की अनुसूची में कुछ नामों का जोड़।
70	No. 60-ITC(PN)/68, dt. 19-4-68	Min. of Commerce.	Revalidation of actual user licences.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	325	भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	485

	पृष्ठ
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	375
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	987
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2159
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	217
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	367
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	177
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	57
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	151
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	83
पूरक संख्या 18—	
20 अप्रैल 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	621
30 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	635

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	325
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	485
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	375
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministries of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	987
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (II)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2159
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	217
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	367
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	177
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	57
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	151
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	83
SUPPLEMENT No. 18—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 20th April 1968	621
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 30th March 1968	635

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1968

सं० 28 प्रेज/68—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति को, अपने जीवन को महान संकट की परिस्थितियों में डालकर, विशिष्ट साहस प्रदर्शन करने के लिये, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :

श्री रमेश चन्द्र निगम,
सुरक्षा अधिकारी,
लकदिह दीप कोलरी। (मरणोपरान्त)

22 फरवरी, 1967 को जिला धनबाद की लैकदिह दीप कोलरी में स्फोटन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वायु संचारण के उपकरण बुरी तरह से प्रभावित हुए तथा एक 60 मीटर लम्बे बन्द मार्ग में प्रज्वाल्य गैस बड़ी मात्रा में जमा हो गई। एक खनिकर्म सरदार, जो निरीक्षण करने के लिये मार्ग में घुसा था, 20 मीटर आगे जाने के पश्चात् अचेत होकर गिर पड़ा। श्री रमेश चन्द्र निगम, श्री बी० एन० कुण्डू, वायु संचारण अधिकारी की सहायता से सरदार को बचाने के लिये आगे। उनकी सुरक्षा बत्तियों के बुझ जाने तथा अस्वस्थ वातावरण प्रत्यक्ष होने पर भी वे आगे बढ़े तथा अचेत खनिकर्म सरदार को लगभग 3 मीटर की दूरी तक घसीट कर लाने में सफल हुए किन्तु तभी एकाएक गिर पड़े। यह देखकर तीन पत्थर काटने वाले सर्वश्री बनवारी सिंह, दोमोर महातो तथा चन्द्रिका सिंह मार्ग के अन्दर घुसे और खनिकर्म सरदार को, जो दुर्भाग्यवश मर चुका था, तथा दूसरे प्रयास में श्री रमेश चन्द्र निगम को बाहर लाने के इरादे में, अचेत पड़े हुए श्री बी० एन० कुण्डू को बाहर लाने में सफल हुए।

जब पत्थर काटने वाले दोबारा अन्दर गए तो वे श्री निगम तक नहीं पहुंच सके। इसी बीच उन्हें चेतना लौट आई थी और वे खनिकर्म सरदार को, जिसे उन्होंने तब तक अन्दर ही समझा था, बचाने के उद्देश्य से मार्ग में और भीतर को बढ़े तथा दोबारा गिर पड़े। इससे पहले कि उन्हें बचाया जा सकता था श्री निगम मर चुके थे।

श्री रमेश चन्द्र निगम ने अपने ही जीवन के लिये, जिसे उन्होंने अपने प्रयास करने में बलिदान कर दिया, महान संकट की परिस्थितियों के अधीन खनिकर्म सरदार को बचाने के लिये बार-बार जाकर अदम्य साहस का परिचय दिया।

सं० 29 प्रेज/68—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को, अपने जीवन को अत्यन्त संकट की परिस्थितियों में डालकर साहस एवं तत्परता प्रदर्शन करने के लिये, उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :

1. श्री अप्पा साहेब बाबाजी चौगुले,
   अर्जुनवाड, तालुक शिरोल,
   जिला कोल्हापुर।
2. श्री नर्सू मालीवाड़े,
   अर्जुनवाड, तालुक शिरोल
   जिला कोल्हापुर।

31 जुलाई, 1964 को उमालवाड, तालुक शिरोल, जिला कोल्हापुर की निवासिन, 17 वर्षीय श्रीमती शेवन्तीबाई टाटे जब कृष्णा नदी के तट पर कपड़े धो रही थी तभी उसके पांवों के तले की जमीन टूट पड़ी तथा तट की ओर तैर कर आने के उसके प्रयासों के बावजूद जल की तीव्र धारा उसे बहा ले गई। पूरी बाढ़ में आई हुई नदी जब उसे 8 मील नीचे तक बहा कर ले जा चुकी थी तब श्री अप्पा साहेब बाबाजी चौगुले तथा श्री नर्सू मालीवाड़े ने, जो खेतों में काम कर रहे थे, उसे देखा। वे तुरन्त पानी में कूद पड़े तथा तेज धारा में लगभग 3 फर्लांग तक तैरने के पश्चात् उसे किनारे पर ले आए तथा इस प्रकार उसकी जान बचाई।

सर्वश्री अप्पा साहेब बाबाजी चौगुले तथा नर्सू मालीवाड़े ने युवती को बचाने के लिये अपने जीवन को संकट में डाल कर उच्च कोटि का साहस दिखाया।

3. श्री सरसचन्द्र कन्हैयालाल पण्ड्या,
   अमरावती, जिला अमरावती। (मरणोपरान्त)

26 अप्रैल, 1966 को अमरावती में लक्ष्मी आइल इण्डस्ट्रीज के द्रावक पदार्थ निकालने वाले संयंत्र में आग लग गई। संयंत्र में अत्यधिक दबाव होने के कारण एक भारी टपकाव का पता चला। मिल के एक आपरेटर, श्रीस रसचन्द्र कन्हैयालाल पाण्ड्या ने असाधारण साहस का परिचय दिया तथा संयंत्र को पैट्रोल के मुख्य भण्डार से जोड़ने वाले वाल्व को दक्षता से सुलझा कर एक बड़े विस्फोट तथा उसके परिणामस्वरूप भीषण दुर्घटना तथा अनेक मजदूरों की जीवन हानि को टालने में सफल हुए। तथापि श्री सरसचन्द्र कन्हैयालाल पण्ड्या तीव्र प्रज्वाल्य गैस के आग पकड़ने से पहले बचकर न निकल सके तथा बुरी तरह घायल हो गये। उन्हें अस्पताल में भरती किया गया किन्तु दूसरे ही दिन वे मृत्यु के शिकार हो गये। अपने जीवन के मूल्य पर उनकी प्रतिभा, कर्त्तव्य-निष्ठा तथा साहसिक कार्य ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना तथा जीवन हानि को बचा लिया।

4. श्री चन्द्रशेखर गुरुवासप्पा अंगाडी

19 सितम्बर, 1966 को गुलेडगुड के गुरुवासप्पा इलालाशेत्तर की पत्नी, श्रीमती अन्नापुर्नव्वा फिसल पड़ी तथा एक कुएं में गिर गई। एक 18 वर्षीय विद्यार्थी, श्री चन्द्रशेखर गुरुवासप्पा अंगाडी अपने जीवन की परवाह न करके तुरन्त 50 फीट गहरे, तंग तथा पत्थरों से भरे हुए कुएं में कूद पड़ा और उस महिला की जान बचाई। श्री चन्द्रशेखर गुरुवासप्पा अंगाडी ने साहस तथा तत्परता दिखाई और उस महिला के जीवन को बचाने के लिये महान व्यक्तिगत संकट में कार्य किया ।

5. मास्टर क्रिस्टोफर बलिंगटन,
द्वारा श्री एन० के० बलिंगटन,
डनलप इंडिया लिमिटेड,
डाकघर साहागंज, जिला हुगली,
पश्चिम बंगाल ।

8 मई, 1967 को एक मां अपने 5 वर्षीय पुत्र को साहागंज, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल में डनलप इंडिया लिमिटेड के अहाते में स्थित तैरने के तालाब को ले गई। माता के ध्यान में आए बिना वह बालक फिसल कर तालाब में गिर पड़ा। उसे बच्चे के खो जाने का आभास होने तक बच्चा तालाब के गहरे तले तक डूब चुका था। मां की अनियन्त्रित चिल्लाहट को सुन कर कुछ व्यक्ति घटनास्थल पर आए किन्तु डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिये किसी ने भी कुछ नहीं किया। मां के बार-बार चिल्लाने की आवाज की ओर 12 वर्षीय छोटे से बालक मास्टर क्रिस्टोफर बलिंगटन का भी ध्यान खिचा जो दौड़ कर घटनास्थल पर पहुंचा। वह बालक कपड़े तथा जूते पहिने हुए ही अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना तत्काल तालाब में कूद पड़ा और बच्चे को बचा लिया। जब बच्चे को बाहर लाया गया उस समय उसके दिल की धड़कन बन्द हो चुकी थी और नाड़ी इतनी मन्द थी कि कठिनाई से उसका आभास हो सकता था किन्तु उसकी जान बच गई। मास्टर क्रिस्टोफर बलिंगटन ने बच्चे के बचाने में अपने जीवन की महान संकट की परिस्थितियों में साहस तथा तत्परता प्रदर्शित की ।

6. श्री भालचन्द्र वासुदेव चौगुले,
गौरी पुडा, भिवाण्डी,
जिला थाना । (मरणोपरान्त)

6 जुलाई, 1965 की प्रातः श्री भालचन्द्र वासुदेव चौगुले, श्री शशिकान्त पावसकर तथा श्री परब अक्वेम में स्थित छोटे से तालाब में स्नान करने के लिये गये। श्री पावसकर, जो तैरना सीख रहा था, संकटों में पड़ गया तथा डूबने वाला ही था। यह देख कर श्री परब उसे बचाने के लिये गये, किन्तु अपने प्रयास में बिलकुल थक गये थे और बिलकुल घबड़ाकर तट पर लौट गये। श्री चौगुले, जो एक कुशल तैराक थे, बचाव के लिये गये किन्तु श्री पावसकर ने अपने बचाव के प्रयास में श्री चौगुले को गले से पकड़ लिया ।

श्री परब, जो तब तक थकान तथा धक्के से पुनः कुछ स्वास्थ्य लाभ कर चुके थे, सहायता के लिये चिल्लाए। तुरन्त कुछ व्यक्ति चारों ओर एकत्रित हुए तथा श्री चौगुले और श्री पावसकर को पानी से बाहर निकाल लिया गया तथा शीघ्रता से अस्पताल ले जाया गया। तथापि, अस्पताल में उन्हें मृत पाया गया ।

श्री भालचन्द्र वासुदेव चौगुले ने अपने एक साथी को बचाने के प्रयास में अपने जीवन के मूल्य पर मनुष्यत्व का एक सराहनीय कार्य किया ।

7. श्री जौनी फर्नाण्डिस,
बैना, वास्को-डा-गामा,
गोआ । (मरणोपरान्त)

29 मई, 1966 की प्रातः दो नौसैनिक पैटी अफसर श्री एस० सिंह तथा श्री एस० आर० सिंह सुरावेल स्रोतों में तैरने के लिये गये थे। तैरने के दौरान श्री एस० आर० सिंह सहायता के लिये चिल्लाया तथा उसके साथी ने उसे तट की ओर लाने का प्रयास किया किन्तु इस कार्य को अकेले पूरा करने में कठिनाई अनुभव की। इसलिये वह पैदल चल कर पानी के बाहर आए तथा समुद्र-तट पर खेलते हुए कुछ असैनिकों के पास दौड़े।

श्री जौनी फर्नाण्डिस समेत वे असैनिक श्री एस० आर० सिंह को बचाने के लिये दौड़े। वे उसे तट पर लाने में सफल हुए। जब उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था तब यह पता चला कि श्री जौनी फर्नाण्डिस गायब हैं। विस्तृत खोज की गई तथा उसका शरीर पानी के ऊपर तैरता हुआ पाया गया। नौ सैनिक वायु स्टेशन, डेबोलिन से तुरन्त पहुंचाई गई चिकित्सा सहायता श्री फर्नाण्डिस को बचाने में कारगर साबित नहीं हुई ।

श्री जौनी फर्नाण्डिस ने अपने जीवन के मूल्य पर एक मनुष्य को बचाने के प्रयास में उत्कृष्ट साहस तथा तत्परता दिखाई ।

8. श्री दिलवर हुसैन,
टिम्बर मिस्त्री,
लोवर बदज्ञा कोलरी,
डाकघर निरसा, जिला धनबाद।

9 श्री सुलेमान मियां,
मशीन ड्रिलर,
खास बदज्ञा, कोलरी,
डाकघर निरसा, जिला धनबाद ।

10. श्री मुहम्मद सैयद मियां,
शौट फायरर,
खास बदज्ञा कोलरी,
डाकघर निरसा, जिला धनबाद ।

11 जनवरी, 1966 को जब सात खनिक कर्मचारी लोअर बदज्ञा कोलरी में भूमिगत कार्यों में लगे हुए थे, छत के पत्थरों का एक ढेर अचानक नीचे गिर पड़ा। उनमें से चार घटना स्थल पर ही मौत के शिकार हो गए, दो गम्भीर रूप से घायल हो गए तथा एक अन्य श्री बशीर मियां ढेर के अन्दर फंस गया और सहायता के लिये चिल्लाता रहा। यह अनुमान लगाया गया था कि वह छत के लगभग 4 या 5 मीटर भीतर था। ऊपर की छत लटक रही थी तथा उस आदमी तक पहुंचना अत्यन्त कठिन तथा संकटपूर्ण था। फिर भी जब खानों के मुख्य निरीक्षक ने स्वयंसेवकों को बुलाया तो लोअर बदज्ञा कोलरी के टिम्बर मिस्त्री श्री दिलवर हुसैन तथा खास बदज्ञा कोलरी के सर्वश्री सुलेमान मियां तथा सैयद मियां ने

तत्काल अपनी सेवाएं अर्पित कीं । गिरे हुए पत्थरों, चट्टान तथा कोयले को काटते हुए तथा सुरंग बनाते हुए वे फंसे हुए आदमी तक पहुंचे । उसके पास पहुंचने में उन्हें 13 घण्टे से अधिक समय लगा । इस सारी अवधि के दौरान छत के और गिरने की हर सम्भावना थी जिसके परिणामस्वरूप वे तीनों रक्षक किसी भी क्षण दब कर मर सकते थे । श्री बशीर मियां को रस्सी से बांधकर सावधानी से खींच कर बाहर निकाला गया । दुर्भाग्यवश धक्के के कारण वह बचाव के 11 घण्टे बाद अस्पताल में मर गया ।

सर्वश्री दिलवर हुसैन, सुलेमान मियां तथा मुहम्मद सैयद मियां ने अपने जीवन के लिये महान संकट की परिस्थितियों के अधीन श्री बशीर मियां को बचाने में उत्कृष्ट साहस दिखाया ।

11. श्री बनवारी सिंह,
ग्राम धोबादिह, डाकघर मारकरचू,
हजारीबाग ।

12. श्री दोमोर महातो,
ग्राम उरें, डाकघर सरिया,
जिला हजारीबाग ।

13. श्री चन्द्रिका सिंह,
ग्राम तथा डाकघर मारकरचू,
जिला हजारीबाग ।

22 फरवरी, 1967 को लैकादिह दीप कोलरी, जिला धनबाद में स्फोटन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वायु प्रसार यंत्र बुरी तरह प्रभावित हो गये जिसके परिणामस्वरूप 60 मीटर लम्बे बन्द मार्ग में प्रज्वाल्य गैस काफी मात्रा में जमा हो गई थी । एक खनिकर्म सरदार, जो निरीक्षण करने के लिये मार्ग में प्रविष्ट हुआ था, लगभग 20 मीटर आगे बढ़ने के उपरान्त अचेत होकर गिर पड़ा । श्री आर० सी० निगम तथा श्री बी० एन० कुण्डू, जो उसे बचाने के लिये गये थे, गैस से प्रभावित हो गये और उसे बाहर लाने के प्रयास में लड़खड़ा-कर गिर पड़े । यह देखकर सर्वश्री बनवारी सिंह, दोमोर महातो तथा चन्द्रिका सिंह मार्ग के भीतर गये और खनिकर्म सरदार तथा श्री बी० एन० कुण्डू को बाहर लाने में सफल हुए ।

वे श्री निगम को बाहर लाने के लिये मार्ग में फिर प्रविष्ट हुए किन्तु उसके पास तक न पहुंच सके क्योंकि इसी बीच श्री निगम को चेतना लौट आई थी और खनिकर्म सरदार को, जिसे वे तब तक भीतर ही सोचते थे, बचाने के उद्देश्य से और अन्दर की ओर बढ़ गये थे तथा फिर से अचेत हो कर गिर पड़े थे । इससे पूर्व कि श्री निगम बचाए जा सकते, वे मर चुके थे ।

सर्वश्री बनवारी सिंह, दामोर महातो तथा चन्द्रिका सिंह ने, संकट के समय अपने सह-कर्मचारियों को बचाने के लिये जाकर अपने जीवन के लिये महान संकट की परिस्थितियों में उत्कृष्ट साहस तथा तत्परता के साथ बार-बार कार्य किया ।

14. श्री अप्पालामणि पेरूमल नायडू,
कनिष्ट गैस निरीक्षक, राउरकेला इस्पात संयंत्र,
राउरकेला । (मरणोपरान्त)

13 सितम्बर, 1966 को श्री अ० पे० नाइडू को केन्द्रीय जीर्ण संस्कारशाला से ईंधन गैस के कम दबाव को ठीक करने के लिये एक अत्यावश्यक संदेश मिला : एक गैस परिचारक, एक फिटर तथा एक खलासी को साथ लेकर वे तुरन्त घटनास्थल की ओर बढ़े । गैस परिचारक तथा फिटर को एक वाल्व को खोलने के लिए एक गड्ढे के भीतर भेजा गया ताकि एकत्रित हुआ पदार्थ बाहर जा सके । वाल्व को पुनः अपने स्थान पर लगा सकने के पहले उन्होंने एक संकट का सन्देश भेजा । ईंधन गैस में तेज विषैली कार्बन मोनाक्साइड गैस प्रचुर मात्रा में होती है, जिसके थोड़ा सा भी लग जाने से सामान्यतः मृत्यु हो जाती है । श्री नायडू ने संकट का अनुभव करके उन्हें गड्ढ से बाहर आने का निर्देश दिया । किन्तु गैस के स्वास के साथ अन्दर चले जाने के कारण वे बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे । श्री नायडू अपने ही जीवन के प्रति महान संकट की परवाह न करके गड्ढे में नीचे झुके तथा अपने साथी कर्मचारियों को खींच कर बाहर सुरक्षित स्थान में ले आये । उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों की जान बचाई किन्तु स्वयं पाइप लाइन से निकलने वाली विषैली गैस से भरे गड्ढे में गिर पड़े तथा अचेत हो गये । उन्हें बचाने के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए ।

श्री अ० पे० नायडू ने अदम्य साहस प्रदर्शित किया तथा अपने साथी कर्मचारियों की जान बचाने में अपनी जान दे दी ।

सं० 30 प्रेज/68—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को सख्त घायल होने का खतरा होते हुए भी जीवन रक्षा करने हेतु साहस एवं तत्परता का प्रदर्शन करने के लिये, जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :

1. श्री बैजनाथ प्रसाद वर्मा,
लिपिक, कलक्टरी,
होशंगाबाद, मध्य प्रदेश ।

1 जून, 1966 को लखनऊ में नजीराबाद के निवासी श्री अबदुल्ला के पुत्र श्री सज्जद होशंगाबाद के निकट गडरिया पुल के पास एक चलती रेल गाड़ी से गिर पड़ा और 100 फीट गहरे एक नाले के तले पर अचेत पड़ा था । रेलगाड़ी को रोक गया और लगभग 500 आदमी घटनास्थल पर एकत्रित हो गये किन्तु कोई भी इतना साहसी न निकला कि गिरे हुए व्यक्ति के पास जाये और उसे बचाया जा सके । काफी ढालू उतार होनेपर भी श्री बैजनाथ प्रसाद वर्मा नाले में उतर गये तथा घायल और अचेत मनुष्य को बिना किसी दूसरे की सहायता के ले आए ।

श्री बैजनाथ प्रसाद वर्मा ने अदम्य साहस तथा तत्परता से स्वयं को महान संकट में डाल कर श्री सज्जेद को बचा लिया ।

2. श्री लक्ष्मीदास,
ग्राम जेलम, जिला चमोली,
गढ़वाल ।

23 दिसम्बर, 1965 को जब श्री लक्ष्मीदास अलखनन्दा नदी की ओर आ रहे थे तब उन्होंने एक घरेलू कर्मचारी श्री मंगल सिंह को पीठ पर जलाने की लकड़ी के गट्ठर सहित छिंगका गांव के पास पुल से नदी में गिरते हुए देखा वे तुरन्त अपने वस्त्र उतार कर नदी में कूद पड़े और मंगल सिंह को पकड़ लिया । अलखनन्दा नदी का पानी बर्फ के समान ठण्डा था और तेज बहने वाली नदी शिलाखण्डों से भरी थी । श्री लक्ष्मीदास ने डूबते हुए मनुष्य को बचाने में स्वयं को महान संकट की परिस्थितियों में डालकर उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया ।

3. श्री चन्द्र सिंह गुसाईं,
ग्राम पदियारगांव, पट्टी तलाई,
तहसील लैन्सडौन, जिला गढ़वाल ।

5 अगस्त, 1966 को बेसिक स्कूल, घोपड़ा पट्टी के विद्यार्थी अपने अध्यापकों के साथ एक जलूस में जा रहे थे । जब वे नदी को एक कठपुलिया (लठों के पुल) द्वारा पार कर रहे थे तभी एक लड़का, 7 वर्षीय श्री शिशुपाल सिंह नदी में गिर पड़ा । अध्यापक श्री चन्द्र सिंह गुसाईं, जो विद्यार्थियों के साथ जा रहे थे, निस्संकोच नदी में कूद पड़े और लड़के को पकड़ लिया तथा उसे सुरक्षित स्थान में ले आए । श्री चन्द्र सिंह गुसाईं का वर्षा ऋतु के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में तेज बहने वाली नदी में कूदने का साहसिक कार्य उनके अपने जीवन के लिये खतरे से खाली नहीं था । श्री चन्द्र सिंह गुसाईं ने बालक की जान बचाने में अदम्य साहस का परिचय दिया ।

4. श्री क्रिस्टोवाओ फर्नाण्डिस,
पालोलेम, कानाकोना, गोआ ।

10 दिसम्बर, 1965 को गोआ के तट पर भयानक तूफान आया तथा गोआ के दक्षिणी सिरे में कानाकोना के तट के साथ-साथ इसकी गहनता उच्चतम थी । अनेक देसी नावों को क्षति पहुंची तथा उनके नाविक उनके टुकड़ों पर लटक कर अपनी जीवन-रक्षा के लिये जूझ रहे थे ।

पालोलेम का एक मछुवा, श्री क्रिस्टोवाओ फर्नाण्डिस तत्काल अपनी छोटी नाव ले कर बचाव कार्य में पुलिस की सहायता के लिये आए । उन्होंने किनारे से टूटी हुई तथा संकट में फंसी नाव तक कई चक्कर लगाये तथा अनेक व्यक्तियों को बचाने में सहायता दी । श्री क्रिस्टोवाओ फर्नाण्डिस ने महान् व्यक्तिगत संकट में इस कार्य को करने में उल्लेखनीय साहस दिखाया ।

5. श्री दासू राम,
पंज ग्ररिया,
तहसील होशियारपुर ।

6. श्री सोम बहादुर गुरंग,
ग्राम चावाथेक,
डाकखाना दरघा, तहसील घांदिग ।

7. सूबेदार मेजर चन्दर भान,
ग्राम बराही, बहादुरगढ़ ।

13 अप्रैल, 1965 को रोहतांग दर्रा (ऊंचाई 13,400 फीट) तथा बड़ा लच्छाला (समुद्र की सतह से 16,000 फीट ऊंचा) पर बर्फ की गहराई को मापने के लिये गई हुई 5 सीमा सड़क कार्य दल की बर्फ पर्यवेक्षण टुकड़ी के कार्यभारी अधिकारी से एक वायरलैस सन्देश प्राप्त हुआ था कि एक कुली बीमार हो गया था और खो गया था । सूबेदार मेजर चन्दर भान और सैन्य मार्ग-शोधक सोम बहादुर गुरंग ने कुली को बचाने के लिये रोहतांग दर्रा जाने हेतु सेवाएं अर्पित कीं ।

दल खोए हुए कुली की खोज में 15 अप्रैल, 1965 को मनाली से रोहतांग दर्रा के लिये रवाना हुआ । रास्ता 6 से 20 फीट तक गहरे बर्फ से पूर्णतया ढका था तथा दल ने कड़कती ठण्ड, तेज हवाओं और चौंधाने वाली बर्फ की आंधी के कारण भीषण कठिनाइयां अनुभव कीं । तथापि यह दल दर्रे की चोटी पर पहुंचने में सफल हो गया तथा विस्तृत खोज करने के उपरान्त उन्होंने कुली को ढूंढ लिया और उसे जीवित पाया । वे उसे बारी-बारी से अपनी-अपनी पीठ पर लाद कर धीरे-धीरे नीचे ले आए । रोहतांग/शिखर से बाहाला तक उतरना बहुत कठिन था किन्तु उस दल ने एक ऐसे समय में इसे निष्पादन कर लिया जब बिना पर्याप्त कपड़े तथा संसाधनों के कोई भी रोहतांग दर्रे को पार करने का साहस नहीं करता ।

सूबेदार चन्दर भान, मिस्त्री दासूराम तथा सैन्य मार्ग-शोधक सोम बहादुर गुरंग ने अपने लिये संकट से पूर्णतया अवगत होकर भी एक जीवन की रक्षा करने में महान् साहस तथा दृढ़ संकल्प का परिचय दिया ।

8. लांस नायक चिमाजी शिटोले,
ग्राम अम्बली, तहसील सिरूर,
जिला पूना ।

6 फरवरी, 1965 की प्रातः कड़ाके की सर्दी में सड़क की देख-भाल करने वाले लद्दाखियों के एक दल के इन्चार्ज, लांस नायक चिमाजी शिटोले लेह-कुशूल मार्ग (लद्दाख) पर लिकचे गांव के समीप ऊंची मेड़ पर कार्य कर रहे थे । लगभग 12 बजे भोजनावकाश के दौरान अठारह वर्षीय कुमारी सोनम डोल्मा संद्रवित सिन्ध नदी से पानी लाने के लिये तट की सीधी ढलान से होकर नीचे जा रही थी । जब सोनम डोल्मा एक दरार के पास पहुंची तो नदी की जमी हुई सतह की ऊपरी परत टूट गई । वह नदी में गिर पड़ी तथा नदी की तेज धारा उसे बहा ले गई ।

उसकी संकट की चीख-पुकार सुनकर लांस नायक चिमाजी शिटोले नीचे तट की ओर दौड़े तथा बर्फ के समान ठण्डी नदी में कूद पड़े और लड़की को बचा लिया । श्री चिमाजी शिटोले ने स्वयं अपने लिये महान् संकट की परिस्थितियों के अधीन उत्कृष्ट साहस तथा तत्परता दिखाई ।

9. श्री पण्डुरंग पड्याल,
डाक वेल्डूर (भोइवार्डा),
ताल्लुक गुहागर, जिला रत्नागिरि ।

24 जून, 1966 को 'डीप सी फिशिंग स्टेशन', बम्बई में वरिष्ट यान्त्रिक पर्यवेक्षक, श्री ई० आई० मावेन बम्बई स्थित सासून बन्दरगाह में एम० एफ० वी० झींगा नामक मत्स्य-ग्रहण पोत का निरीक्षण करने के लिए गए । जब श्री ई० आई० मावेन सीढ़ी से उतर रहे थे तभी ज्वार घटना आरम्भ हुआ और पोत हवा के साथ तरंगित होने लगा । बोलार्ड से सीढ़ी अचानक खुल पड़ी तथा श्री मावेन, जो तैरना नहीं जानते थे, बन्दरगाह की दीवार और पोत के किनारे के बीच समुद्र में गिर पड़े ।

कनिष्ठ गोदी कर्मचारी व गिरीस देने वाले श्री पण्डुरंग पड्याल जो उस समय पोत की छत पर कार्य कर रहे थे, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता छोड़कर बन्दरगाह की दीवार तथा पोत के किनारे के बीच तंग व्यावधान में पानी में कूद पड़े और श्री मावेन को बचा लिया । उन्होंने श्री मावेन को बचाने में प्रशंसनीय साहस तथा तत्परता दिखाई ।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1968

सं० 15/1/68-ए० आई० एस० (I)—निम्नलिखित सेवाओं में 1 नवम्बर, 1962 के बाद सशस्त्र सेना में कमीशन-प्राप्त निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अफ़सरों /अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफ़सरों के लिये आरक्षित रिक्तियों को चुनाव के द्वारा भरने के लिए अक्तूबर, 1968 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगित-परीक्षा के नियम सम्बन्धित मंत्रालयों की, और भारती लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की, सहमति से आम जानकारी के लिए प्रकाशित किये जा रहे हैं :—

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा,

(ii) भारतीय विदेश सेवा,

(iii) भारतीय पुलिस सेवा,

(iv) केन्द्रीय सूचना सेवा, (ग्रेड II) श्रेणी I

(v) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,

(vi) भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा,

(vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,

(viii) भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी-I)

(ix) भारतीय आर्डनेंस फ़ैक्टरी सेवा, श्रेणी I (सहायक प्रबन्धक गैर-तकनीकी),

(x) भारतीय डाक सेवा,

(xi) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,

(xii) सैनिक भूमि (मिलिटरी लैण्ड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी I,

(xiii) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,

(xiv) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी II

(xv) केन्द्रीय सचिवालय, सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड श्रेणी II,

(xvi) सीमा-शुल्क मूल्य-निरूपक (एप्रेज़र) सेवा, श्रेणी II,

(xvii) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा, श्रेणी II,

(xviii) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख), अनुभाग अधिकारी ग्रेड II,

(xix) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II और

(xx) सैनिक भूमि मिलिटरी (लैण्ड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी II,

(xxi) मनीपुर पुलिस सेवा, श्रेणी II,

(xxii) त्रिपुरा पुलिस सेवा, श्रेणी II,

(xxiii) मनीपुर सिविल सेवा, श्रेणी II,

(xxiv) त्रिपुरा सिविल सेवा, श्रेणी II,

(xxv) गोआ दमन व दियु सिविल सेवा, श्रेणी II तथा

(xxvi) पाण्डीचेरी सिविल सेवा, श्रेणी II

उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता -परीक्षा में बैठना चाहता हो उनका उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में कर दे । उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी ऐसी सेवा में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जायेगा जिसका उल्लेख वे अपने आवेदन-पत्र में नहीं करेंगे ।

ध्यान दें I :—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्रों में उन सेवाओं के अधिमान-क्रम का स्पष्ट उल्लेख करें जिनके लिये वे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं । उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार जितनी सेवाओं का चाहें उल्लेख करें जिससे नियुक्तियां करते समय, योग्यता क्रम में उनके स्थान को दृष्टि में रखते हुए, उनके अधिमानों का भी समुचित ध्यान रखा जा सके ।

ध्यान दें II :—उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन-पत्र में मूलत: उल्लिखित सेवाओं में किसी अन्य सेवा का नाम जोड़ने अथवा उनके अधिमान-क्रम में कोई परिवर्तन करने से सम्बन्धित किसी ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा जो 31 दिसम्बर, 1968 को या उसके पूर्व आयोग के कार्यालय में नहीं प्राप्त हो जाता ।

2. परीक्षा के परिणाम-स्वरूप भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले नोटिस में निर्धारित की जाएगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पद आरक्षित किये जायेंगे ।

अनुसूचित जातियों में आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1965 के साथ पढ़े गये अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान, (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिमजाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडीचरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 तथा संविधान (अनुसूचित आदिमजातियों) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा । परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

4. इन नियमों में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार वे सारे आपात्कालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारी, जिन्हें प्रथम नवम्बर, 1962 के पश्चात् राज्यादेश प्राप्त हुआ था, और जो इस अधि-

सूचना की तारीख से पहले मन् 1968 के दौरान रिलीज़ हो चुके हों, या इसके पश्चात् सन् 1969 के अन्त तक रिलीज़ होने हों, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

यह व्यवस्था की जाती है कि प्रथम नवम्बर, 1962 के पश्चात् सेना में भरती हुए आपात्कालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारी । लघु अवधि राज्यादेश प्राप्त अधिकारी, जो 1968 से पहले रिलीज़ हुए हों, वे नियम 8 की व्यवस्था के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे ।

नोट 1:—इन नियमों के उद्देश्य से "रिलीज़" का तात्पर्य निम्नलिखित होगा :—

(i) आपात्कालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारियों से सम्बन्धित एक प्रावरथाभाजित प्रोग्राम के अनुसार वास्तविक रिलीज़,

(ii) लघु अवधि राज्यादेश प्राप्त अधिकारियों के सम्बन्ध में उनकी सेवा की अवधि समाप्त होने पर वास्तविक रिलीज़,

(iii) सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अपंगता ।

यह रिलीज़ सेना में सेवावधि की समाप्ति पर हुई हो, न कि प्रशिक्षण के दौरान या उसकी समाप्ति पर, और वास्तविक सेवा में लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को हिसाब में लाने के लिए स्वीकार किए गए लघु अवधि राज्यादेश के दौरान या उससे बाद में न हुई हों । दुर्व्यवहार या अदक्षता या अपनी ही प्रार्थना पर रिलीज़ हुए अधिकारियों के मामले इसके अधीन नहीं आते ।

नोट 2:—यदि प्रार्थना-पत्र भेजने के पश्चात् किसी व्यक्ति को सेना में स्थायी राज्यादेश मिल जाये, या वह सेना से त्याग-पत्र दे दें, या दुर्व्यवहार, अदक्षता के कारण या अपनी ही प्रार्थना पर वह रिलीज़ हो जाये, तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी ।

नोट 3:—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में नियुक्त इंजीनियर और डाक्टर, जिन्हें अनिवार्य सेवा योजना के आधीन कम से कम एक निर्धारित अवधि तक सेवा करनी ही होती है, और जिन्हें ऐसे सेवाकाल में सम्बन्धित नियमों के अधीन लघु अवधि राज्यादेश दिया जाता है, वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे ।

नोट 4:—सेना के वालन्टीयर रिज़र्व फ़ोर्स के वे अधिकारी, जो अस्थाई सेवा के लिए बुलाए गये हों, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे ।

5. (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो ।

(ii) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूलरूप से भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका में कीन्या, उगांडा, टैंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए, लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गये हों और तब से आम तौर से भारत में रह रहे हों ।

(ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गये हों जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो ।

(iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आये और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवा काल का क्रम नहीं टूटा है । लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसके 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा द्वारा शुरू की हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता-प्रमाण-पत्र देना होगा ।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे ।

परीक्षा में उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिये जाने की शर्त के साथ, अंतिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

6. (क) उम्मीदवार ने जिस वर्ष में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ किया उस वर्ष के अगस्त तक उसकी आयु 24 वर्ष से कम होनी चाहिए या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो

यह व्यवस्था की जाती है कि निम्नलिखित नियम 9 (ख) के अधीन इस परीक्षा में बैठने के हेतु प्रार्थना-पत्र भेजने वाले उम्मीदवार को उल्लिखित तारीख को निम्नलिखित आयु का नहीं होना चाहिए ।

(i) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, उस वर्ष सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह निम्नांकित नियम 9 (क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता । इनके मामले में 24 वर्ष ।

(ii) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह अगले वर्ष निम्नांकित नियम 9 (क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता । इनके मामलों में 23 वर्ष ।

(iii) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे दूसरे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता । इन के मामलों में 22 वर्ष ।

(iv) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश किया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे तीसरे वर्ष निम्नांकित नियम 9 (क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होना । इन के मामलों में 21 वर्ष ।

(v) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे चौथे वर्ष निम्नांकित नियम 9 (क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता । इन के मामलों में 20 वर्ष ।

(vi) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे पांचवें वर्ष निम्नांकित नियम 9 (क, में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता । इन के मामलों में 19 वर्ष ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है:—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी न कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(v) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, 3 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत—श्रीलंका समझौते के अधीन, नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(vii) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(viii) यदि उम्मीदवार, कीन्या, उगांडा, या टैंजानिया (भूतपूर्व टैंगानिका तथा जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(ix) यदि उम्मीदवार, 1 जून, 1963 को या उस के बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(xi) रक्षा सेनाओं के उन विकलांग कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक वर्ष तक जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किये गये ।

(xii) रक्षा सेवाओं के ऐसे विकलांग कर्मचारियों में अधिक से अधिक 8 वर्ष जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के हैं तथा जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त किए गए ।

(xiii) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था, या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो । वह यदि पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है; उसके मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष । यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्त प्रथम अवसर तक ही सीमित रहेगी ।

(xiv) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो, वह यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तथा साथ ही पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है तो उसके मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष । यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्य अवसर तक ही सीमित रहेगी ।

(xv) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 या 1964 या 1965 में प्रवेश किया है या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो वह यदि अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह का निवासी है तो उसके मामले में अधिकतम चार वर्ष यह सुविधा राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले या 1965 में (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में परीक्षा में बैठने के लिए मिलने वाले प्रथम अवसर तक ही सीमित होगी तथा

(xvi) यदि किसी उम्मीदवार ने राज्यादेश मिलने से पूर्व के प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या उसे 1963 अथवा 1964 व 1965 में (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण की स्थिति में) राज्यादेश मिला हो, और भारतीय नागरिक हो तथा लंका से पुनर्वासित हो ।

जो उम्मीदवार राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, या जिन्हें 1965 में (हुए राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो, उनके सम्बन्ध में इस परीक्षा प्रथम अवसर के लिए ही सुविधा सीमित है ।

नोट 1— नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (ii), (iii), (iv), (v) तथा (vi) में उल्लिखित उम्मीदवारों पर नियम 6 (ख) के खण्ड (xiii) तथा (xiv) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

नोट 2— नियम 6 के परन्तुक के क्रम संख्या (iii), (iv), (v) तथा (vi) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6 (ख) के खण्ड (xv) तथा (xvi) के निहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें 1963 में (हुए राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो ।

नियम 6 (क) के परन्तुक के क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6 (ख) के खण्ड (xv) तथा (xvi) में निहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 1964 के पश्चात् राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो ।

उपर्युक्त परिस्थिति को छोड़ कर निर्धारित आयु सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

7. किसी भी उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यह प्रतिबन्ध 1966 में होने वाली परीक्षा से लागू होगा ।

परन्तु उस उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने की अनुमति दी जायेगी जो उस वर्ष के 1 अगस्त को, जिसमें उसने सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो । उपर्युक्त पैरा 6 में उल्लिखित आयु का नहीं हुआ था किन्तु जिस वर्ष में उसने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था उसके बाद के वर्ष के 1 अगस्त को उस आयु का ही हो गया था ।

नोट—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या एक से अधिक विषयों में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह मान लिया जायेगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले चुका है ।

8. इन नियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत :—

(1) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निमुक्त होने के पहले वाले की परीक्षा में बैठना चाहिए ।

(2) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निमुक्त होने के वर्ष और उसके पहले वाले वर्ष की परीक्षाओं में बैठना चाहिए ।

किन्तु शर्त यह है कि :

(क) जो उम्मीदवार सैन्य सेवा के कारण हुई अथवा बढ़ गई विकलांगता के कारण अपांग हुआ है वह, इस नियम के नीचे दिये हुए नोट में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, 1968 में होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है, तथा यह

(i) 1967 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित आखिरी तारीख के बाद यदि 1967 में अपने एक मात्र अवसर पर अपंग हो गया या एक अवसर लेने की पात्रता को 1968 में आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित आखिरी तारीख के पूर्व 1968 की परीक्षा के लिए अपंग हो गया,

(ii) यदि उसके पहले अवसर, 1967 की परीक्षा के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित आखिरी तारीख के बाद 1967 में, या 1968 में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित आखिरी तारीख के पूर्व 1968 की परीक्षा के लिए अपंग हो गया और दो अवसरों को लेने का पात्र समझा जाता है,

(iii) यदि 1965 या उसके पूर्व उसके दूसरे अवसर पर अपंग हो गया और यदि दो अवसरों को लेने का पात्र हो,

(iv) यदि 1967 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित आखिरी तारीख के बाद 1967 में उसके दूसरे अवसर पर अपंग हो गया और यदि क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार वह 1968 में सेवा से विमुक्त होने वाला था (आपातिक राजाविष्ट अधिकारी होने की स्थिति में) या उसकी सेवा की अवधि की समाप्ति पर (अल्पकालीन सेवा राजाविष्ट अधिकारी होने की स्थिति में),

(v) यदि उसके दूसरे अवसर को, 1966 की परीक्षा के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित आखिरी तारीख के बाद 1966 में, या 1967 में आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित आखिरी तारीख के पूर्व 1967 की परीक्षा के लिए अपंग हो गया और यदि वह दो अवसरों को लेने का पात्र है,

(ख) 1967 में विमुक्त किया गया उम्मीदवार, जो पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में कार्यारम्भ करने के समय या कमीशन पाने के समय नियम 9 (क) में विहित योग्यताओं को न रखता हो (जहां केवल उत्तर कमीशन प्रशिक्षण विद्यमान था) किन्तु जिसने 5 अक्तूबर, 1966 के पूर्व होने वाली किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उस योग्यता को प्राप्त कर लिया हो, वह दूसरे अवसर के रूप में 1968 में होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है, यदि दो अवसरों का पात्र है।

(ग) कमीशन द्वारा 1966 में होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए जिस उम्मीदवार को अनुमति दी गई है किन्तु जो सशस्त्र सेनाओं की सेवा की उपेक्षाओं के कारण उस परीक्षा में नहीं बैठ सका, 1968 में होने वाली परीक्षा में दूसरे अवसर के रूप में बैठ सकता है, यदि दो अवसरों का पात्र है।

(घ) आयोग द्वारा 1967 में होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए जिस उम्मीदवार को अनुमति दी गई है, किन्तु जो सशस्त्र सेनाओं की सेवा की अपेक्षाओं के कारण उस परीक्षा में नहीं बैठ सका, 1968 में होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है :

(i) एक मात्र अवसर के रूप में, यदि एक अवसर लेने का ही पात्र है,

(ii) पहले अवसर के रूप में, यदि दो अवसरों का पात्र है।

(ङ) 1968 में विमुक्त होने वाला, या 1968 की अवधि विमुक्त होने वाला या नियम 9 (ख) के अन्तर्गत होने वाली परीक्षा में पहले बैठने वाला उम्मीदवार, 1968 में होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है :

(i) यदि एक ही अवसर लेने का पात्र है, एक मात्र अवसर के रूप में,

(ii) यदि दो अवसरों को लेने का पात्र है, पहले अवसर के रूप में।

नोट 1—इस नियम के परन्तुक (क) में निहित उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जो 1967 और 1968 की अवधि में सैनिक सेवा के कारण या उससे होने वाली शारीरिक अयोग्यता के कारण अपंग हो गये और जो 1967 और 1968 में क्रमशः (आपातिक राज्यादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में) एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार और (अल्पकालीन सेवा राजादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में) सेवा की अवधि के अंत में विमुक्त किये जाने वाले थे।

नोट 2—इस नियम के परन्तुक (क) के खण्ड (i) और (ii) में निहित उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जो 1967 की अवधि में सैनिक सेवा के कारण या उससे होने वाली शारीरिक अयोग्यता के कारण अपंग हो गये और जो 1968 में (आपातिक राजादिष्ट अधिकारियों की स्थिति में (एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार और (अल्पकालीन सेवा राजाविष्ट अधिकारियों की स्थिति में) सेवा की अवधि के अन्त में विमुक्त हो जाने वाले थे।

नोट 3—इस नियम के परन्तुक (क) के खण्ड (v) में निहित उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जो 1968 की अवधि में सैनिक सेवा के कारण या उससे होने वाली शारीरिक अयोग्यता के कारण अपंग हो गये और जो 1967 में (आपातिक राजाविष्ट अधिकारियों की स्थिति में) एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार और (अल्पकालीन सेवा राजाविष्ट अधिकारियों की स्थिति में) सेवा की अवधि के अन्त में विमुक्त किये जाने वाले थे।

9. (क) उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में बताये गये किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या परिशिष्ट I (क) में उल्लिखित कोई भी योग्यता होनी चाहिए,

बशर्ते कि —

(i) संघ लोक सेवा आयोग अपवादस्वरूप ऐसे उम्मीदवार को भी योग्यता प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है जिसके पास ऊपर बताई गई योग्यताएं नहीं हैं परन्तु जिसने ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं जिनके स्तर से आयोग की राय में उसके परीक्षा में प्रवेश पाने का औचित्य प्रकट होता है।

(ii) जो उम्मीदवार अन्यथा योग्यता प्राप्त है परन्तु जिसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है जो परिशिष्ट I में सम्मिलित नहीं हैं, वह भी आयोग के पास आवेदन कर सकता है और आयोग के विवेक से उस परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में आपातिक कमीशन/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्ति के लिए सेवा चयन बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत होने के समय, इस नियम के उप-नियम (क) में निर्धारित कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी संस्था में अध्ययन कर रहा था, परन्तु जो सशस्त्र सेना में नियुक्त हो जाने के कारण अपना अध्ययन जारी नहीं रख सका और इस प्रकार ऐसी योग्यता प्राप्त नहीं हुई, वह उम्मीदवार भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

नोट—जो उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा है जिसमें उत्तीर्ण होने से वह इस नियम के उप-नियम (क) के अनुसार इस

परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जायेगा, परन्तु जिस परीक्षा का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले ही पूर्ण हो जाये। ऐसे उम्मीदवारों को इस परीक्षा में बैठने दिया जायेगा, जो अन्यथा इसके लिए पात्र होंगे, परन्तु यह प्रवेश अस्थाई माना जायेगा और इसे रद्द किया जा सकेगा, यदि उक्त परीक्षा के उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण यथाशीघ्र और इस परीक्षा के आरम्भ होने के बाद किसी भी स्थिति में दो महीने तक प्रस्तुत नहीं करेंगे।

10. यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में केवल उन्हीं सेवाओं के लिए बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तम्भ (iii) में दी हुई है :—

क्रम संख्या	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिये परीक्षा में बैठने का पात्र है
(i)	(ii)	(iii)
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-I।
2.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा।
3.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास II, दिल्ली हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा, मनीपुर सिविल सेवा, त्रिपुरा सिविल सेवा, गोआ, दमन, दीउ सिविल सेवा, पांडीचेरी सिविल सेवा, दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा, मनीपुर पुलिस सेवा और त्रिपुरा पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय, क्लास-I।

11. सशस्त्र सेवाओं में कार्य कर रहे उम्मीदवार को चाहिए कि वह इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र अपने यूनिट की कमांड करने वाले अफसर के सामने प्रस्तुत कर दे, जो उसे संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज देगा। उम्मीदवार जो स्वयं अपने यूनिट का समादिष्ट अधिकारी है, अपने से वरिष्ठ अधिकारी की मार्फत आवेदन-पत्र भेजे।

सरकारी सेवा में लगे अन्य सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए अपने विभाग के अध्यक्ष से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

15. किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठी बात बताने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने पर आयोग ने यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित किया है तो उम्मीदवार के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :—

(क) (i) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, तथा

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, सरकार के अन्तर्गत नौकरियों से, उसको सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए बारित किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है।

16. आयोग लिखित परीक्षा में अपने निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता-अंक (Qualifying marks) प्राप्त उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलायेगा।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल आंकड़ों के आधार पर योग्यता-क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर अर्हता-प्राप्त समझेगा, उन्हें इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे, तो उसकी उस सेवा में, यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों

के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोग सिफारिश करेगा।

18. (क) यदि परीक्षा फल के आधार पर, निर्मुक्त आपात-कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हता-प्राप्त उम्मीद-वार नहीं होंगे, तो अपूरित रिक्तियों को इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से भरा जायेगा।

(ख) यदि अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या, निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक होगा, तो जो व्यक्ति नियुक्त नहीं हुए हैं उनके नामों को आगामी वर्ष (वर्षों) में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के नियतांश (quota) के अनुसार नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची (सूचियों) में रख दिया जायेगा।

19. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार की जाये, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा-फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

20. उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र देते समय जो अपना अधिमान-क्रम (Preference) बताया होगा, उस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा, परन्तु भारत सरकार को दूसरे ऐसी कोई भी सेवा सौंपने का अधिकार है जिसके लिए वह उम्मीदवार हो।

बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी अन्य सेवा के लिए उस की नियक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

और बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (iii) में उसी सेवा के सामने उल्लिखित सेवाओं के लिए ही उसकी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिस सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा
(i)	(ii)	(iii)
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I।
2.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-I (भारतीय विदेश सेवा को छोड़ कर)।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा।
3.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-II, दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा तथा दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I।

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाये गये उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है।

नोट:— बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाएं। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की जिस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 12 में दिये गये हैं। रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में इन मामलों के संबंध में प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जायेगी।

23. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किये जाने के कारण शून्य (वायड) हो जाये तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर युक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं माना जायेगा जब तक कि भारत सरकार सन्तुष्ट न हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

24. भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

26. इस परीक्षा के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उन के संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट III में दिये गये हैं ।

अ० ना० बटाब्याल,
अवर सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी है ।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय और मांडले विश्वविद्यालय

इंगलैण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डहमे, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय ।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सेंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय ।

आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज) ।
नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन ।
क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट ।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय ।
ढाका विश्वविद्यालय ।
सिंध विश्वविद्यालय ।
राजशाही विश्वविद्यालय ।

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू ।

परिशिष्ट I-क

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदन योग्यताओं की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

1. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique) ।

2. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल ऑफ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

3. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ऑल इंडिया कौंसिल फॉर टैक्निकल एज्यूकेशन) से वाणिज्य में डिप्लोमा ।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

6. श्री अरबिन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम", यदि "पूर्ण छात्र" (फुल स्टूडेन्ट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो ।

7. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

8. अलमार, गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरद्वार ।

9. शास्त्री, काशी विद्यापीठ, बनारस ।

परिशिष्ट II

परीक्षा की रूपरेखा

1. प्रतियोगिता-परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे :—

(क) तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसका विवरण नीचे पैरा 2 में दिया हुआ है । इसके पूर्णांक 450 होंगे ।

(ख) उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए बुलाएगा । इसके पूर्णांक 250 होंगे और इनमें से 50 अंक सशस्त्र सेना के सेवा-वृत्त के मूल्यांकन के लिए रखे जायेंगे ।

2. लिखित परीक्षा के विषय; निर्धारित समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	निर्धारित समय	पूर्णांक
(i) निबंध . .	3 घंटे	150
(ii) सामान्य अंग्रेजी .	3 घंटे	150
(iii) सामान्य ज्ञान .	3 घंटे	150

3. परीक्षा का पाठ्य-विवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा । लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए वही प्रश्न-पत्र होंगे जो इस परीक्षा के साथ ही ली जाने वाली नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की योजना के अनुसार उपयुक्त विषयों के लिए होंगे ।

4. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे ।

5. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा । उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्कस निर्धारित कर सकता है ।

7. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो इस के लिए उसे अन्यथा प्राप्त कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जायेंगे ।

8. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिए गए नम्बरों में से आयोग द्वारा निर्धारित नम्बर इसलिए काट लिए जायेंगे कि कहीं सतही ज्ञान को तो कोई महत्व नहीं दिया गया है ।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है ।

अनुसूची

भाग—(क)

[परिशिष्ट II की धारा II की उप-धारा (क) के अनुसार]

1. **निबंध**—उम्मीदवारों से अंग्रेजी में एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी । चुनाव के लिये कई विषय दिये जायेंगे । उनसे आशा की जायगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें । प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति को प्रश्रय दिया जायगा ।

2. **सामान्य अंग्रेजी**—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले । कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जायेंगे जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अन्तर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके । जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखांक दिए जायेंगे । संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रय दिया जाएगा।

3. **सामान्य ज्ञान**—सामयिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिये । इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।

भाग (ख)

[परिशिष्ट 2 की धारा 1 की उप-धारा (ख) के अनुसार]

व्यक्तित्व परीक्षा—एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा । इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत होगा । उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र दिया है, उसके/उनके लिये वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है । मोटेतौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहणशक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, सन्तुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है ।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती । उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है ।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि उनकी जांच तो लिखित प्रश्न-पत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है, तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि ले जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है ।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा :—

1. **भारतीय प्रशासनिक सेवा**—(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

(च) **वेतनमान**—

जूनियर—रु० 400–400–500–40–700–कु० रो०–30–1000 (18 वर्ष)

सीनियर—

(i) **समय-मान**—रु० 900(छठे या पहले)–50–1000–60–1600–50–1800 (22 वर्ष)

(ii) **सलेक्शन ग्रेड**—1800–100–2000

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2150 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है ।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा ।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी ।

(छ) **भविष्य निधि**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं ।

(ज) **छुट्टी**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमवाली, 1955 से शासित होते हैं ।

(झ) **डाक्टरी परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय, सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है ।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं ।

2. **भारतीय विदेश सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा । इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप-कोंसुल बनाकर उन भारतीयों मिशनों में भेज दिया जायेगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों । प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे ।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जायेगा । परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (substantive post) हो तो उस पर वापस भेज सकती है ।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है ।

(घ) **वेतनमान**—

जूनियर—रु० 400–400–500–40–700–कु० रो०–30–1000 ।

सीनियर—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)—50–1000–60–1600–50–1800 ।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है ।

(ङ) परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास ।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास ।

तीसरे वर्ष—रु० 500 प्रति मास ।

नोट—1. परखाधीन अधिकारी को परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान में वेतन-वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी ।

नोट—2. परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि सभी मिलेगी जबकि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हो) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं ।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (Status) के अनुसार विदेश भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के बढ़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इण्टरटेनमेंट) सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान ।

(ii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendence Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं ।

(iii) भारत आने के लिये वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक-से-अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों (emergencies) में ही दिया जायेगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षा/भत्ता।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (Outfit Allowance) अधिकारी की सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जा-भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा-भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए।

(vii) विदेश में कम-से-कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए, छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमीमों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लाग होगी। विदेश में की गई सेवा के लिये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी।

(झ) **भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, समन्वय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली 1950 द्वारा शासित होते हैं।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

3. **भारतीय पुलिस सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख), (ग), (घ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख) (ग) और (घ) में दिया गया है।

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) **वेतनमान** :—

जूनियर—रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु० रो०-35-950 (18 वर्ष)

सीनियर—रु० 740 (छठे वर्ष या पहले)-40-1100-50/2-1250-50-1300 (22 वर्ष)

सलेक्शन ग्रेड—रु० 1400

पुलिस उप-महानिरीक्षक—रु० 1600-100-1800।

पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800-100-2000।

पुलिस महानिरीक्षक—रु० 2500-125/2-2750/

निदेशक, खुफिया ब्यूरो—रु० 3000।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

(छ), (ज), (झ), (ञ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (छ), (झ) और (ञ) में दिया गया है।

4. **दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी** 2

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखतेहुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन हिमाचल प्रदेश या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी। उससे भारत सरकार के किसी पुलिस खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है।

(ङ) **वेतनमान** :—

ग्रेड I—(सलेक्शन ग्रेड)—रु० 900 नियत।

ग्रेड II—समय-मान—रु० 300-25-475-कु० रो०-650-कु० रो०-30-800।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति की नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतनमान में कम-से-कम वेतन मिलेगा

इस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली 1965 के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारी उसी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होगी ।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अधिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहने-सहने के बढ़ खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिए जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से सम्बन्धित सेवा करने वाले तदनुरूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

5. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड-2 (श्रेणी-1)—

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम-संगठनों (media organisation) में भारत भर में हैं । इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार-एजेंसी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है । यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी ।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :

ग्रेड	वेतनमान
श्रेणी 1	
सलैक्शन ग्रेड	रु० 2250 (नियत)
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1800–100–2000
(जूनियर मान)	रु० 1600–100–1800
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1300–60–1600
(जूनियर मान)	रु० 1100–50–1400
ग्रेड I	रु० 700–40–1100–50–50/2–1250
ग्रेड II	रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०–35–850 ।
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड III	रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड IV	रु० 270–10–290–15–410–कु० रो०–15–485 ।

(ग) इस सेवा की निम्नलिखित श्रेणियों में रिक्तियों पर सीधी भरती की जा सकती है जिसका प्रतिशत नीचे दिया गया है :

जूनियर प्रशासन ग्रेड	(जूनियर वेतनमान)	12½%
ग्रेड I		25%
ग्रेड II		50%
ग्रेड III		100%

उक्त श्रेणियों की शेष रिक्तियां तथा चयन ग्रेड, सीनियर प्रशासन ग्रेड एवं ग्रेड-III की रिक्तियां भी तुरन्त निचली श्रेणियों में 'ड्यूटी' पदों पर काम कर रहे अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति करके भरी जाती हैं । जूनियर प्रशासन ग्रेड के सीनियर वेतनमान की रिक्तियां उक्त ग्रेड के जूनियर वेतनमान में 'ड्यूटी' पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों में से 'वरिष्ठता तथा 'सुयोग्यता' (सीनियरिटी-कमफिटनेस) के आधार पर पदोन्नति करके भरी जाती हैं ।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधे भरती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । परिवीक्षा-काल में उन्हें भारतीय लोक संचार संस्थान (इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन) किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 15 मास होगी । प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्य-क्रम संपूर्त्ति परीक्षा" (एंड-आफ-द-कोर्स-टेस्ट) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम और द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । विभागीय परीक्षा में भाषा-ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी । विभागीय परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा से मुक्त किया जा सकता है अथवा उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसकी पदधारिता हो ।

(ii) परख-अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो सरकार सीधे भर्ती वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण सन्तोषजनक न रहा तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे । यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो उसे तत्काल सेवा-मुक्त किया जा सकता है ।

(iii) परिवीक्षाधीनों को प्रारम्भ में ग्रेड II के वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा । प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद परिवीक्षाधीनों का वेतन बढ़ा कर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड II के वेतन क्रम में रु० 450 कर दिया जायगा । द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसका वेतन रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेता । यदि कोई परिवीक्षाधीन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्यक्रम-संपूर्त्ति परीक्षा" में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख को यह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो पहले हो, रोक दिया जायगा ।

(ङ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है ।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है ।

(छ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायगा ।

परिवीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा ।

6. **भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ।**

7. **भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा ।**

8. **भारतीय रक्षा लेखा सेवा ।**

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागी परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायगी ।

(ख) यदि, यथा-स्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, यथा-स्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है या यदि यथास्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा हो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना होगा पड़ेगा ।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है ।

(च) वेतन मान—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान—

रु० 400—400—450—30—510—रु० रो० 700—40—1100—50/2 —1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300—60—1600।

महालेखापाल—रु० 1800—100—2000 —125 —2250।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायगी ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3— परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी । यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु० 450 तक ले जाने वाली वेतन-वृद्धि एक साल के लिये उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी ।

भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क सेवा :

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, क्लास I, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सहायक कलक्टर, सीमाशुल्क ।	रु० 400–400–450–30 –510–द० रो०–700 –40–1100–50/2–1250 ।
डिप्टी कलक्टर, सीमा शुल्क डिप्टी कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अतिरिक्त कलक्टर, अपिलेट कलक्टर ।	रु० 1100–50–1300 –60–1600 ।
कलक्टर, सीमा शुल्क कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	रु० 1800–100–2000 –125–2250 ।

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है ।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम अधिकारी बनने की सम्भावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा ।

(घ) भारतीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही "फील्ड सर्विस" भी करनी होगी ।

नोट 1—एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 400–400–450–30–510– द० रो०–700–40–1100–50/2–1250 के समय-वेतन में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवाकाल को वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मानेगा ।

नोट 2—परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय-वेतन-मान में रु० 400 से अधिक वेतन तब नहीं दिया जायगा जब तक कि वह, समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती ।

नोट 3—परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा-शुल्क विभाग मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) विभाग में तथा बुनयादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग) के लिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में नियुक्त किया जायगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी । उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी । पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, उसका वेतन पहली अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर, रु० 450 कर दिया जायगा । विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर रु० 480 कर दिया जायगा । वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता ।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम संपूर्त्ति परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उससे एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जायगा ।

नोट 4—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा ।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय मान—

रु० 400–400–450–480–कु० रो०–700–40–1100–1100–1150–1150–1200–1200–1250 ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1300–60–1600 ।

रु० 1600–100–1800 (सलेक्शन ग्रेड)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1800–100–2000–125–2250 ।

रक्षा लेखा महानियंत्रक—रु० 2750 (नियत) ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रुपये से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे; इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन-वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर प्राप्त होता उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

9. **भारतीय आयकर सेवा, श्रेणी I**—(क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्त पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है; परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) वेतनमान:—

आयकर अधिकारी, श्रेणी-I—

रु० 400—400—450—30—510—कु० रो०—700—40—1100—50/2—1250 ।

आयकर सहायक आयुक्त—रु० 1100—50—1300—60—1600

आयकर आयुक्त—रु० 1800—100—2000—125—2250

परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी । इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जायगा । विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 480 कर दिया जायेगा । रु० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाय ।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन-वृद्धि स्थगित कर दी जायगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भलिभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आय-कर सेवा श्रेणी I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जायगा और वह उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे ।

10. **भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी I (गैर-तकनीकी संवर्ग)**

नियुक्तियां सहायक प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) के पदों पर की जायेंगी । उम्मीदवार दो वर्ष तक परख पर रहेगा । इस अवधि में उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय तथा भाषा की परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

परख की अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

चुने हुए उम्मीदवारों को, अपनी नियुक्ति के समय, इस आशय का एक बांड भरना होगा कि वह अपनी परख-अवधि को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद, कम-से-कम तीन वर्ष तक भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा में कार्य करता रहेगा ।

सहायक प्रबन्धक, जिनका पुनरीक्षित वेतन-मान रु० 400—400—450—30—600—35—670—कु० रो०—35—950, गुणों (Merits) के आधार पर, भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा के ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	वेतन-मान
1. उप-प्रबंधक (गैर-तकनीकी) उप-सहायक महानिदेशिक, आर्डनेंस फैक्टरी ।	रु० 700—40—1100—50/2—1250 ।
2. प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) सीनियर उप-सहायक महा-निदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी	रु० 1100—50—1400
3. सहायक महानिदेशक आर्डनेंस फैक्टरी (ग्रेड 2)	रु० 1300—60—1600
4. सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी (ग्रेड 1)	रु० 1600—100—1800
5. उप-महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी	रु० 1800—100—2000

विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समय-मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका निश्चय होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी, की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

11. **भारतीय डाक सेवा**

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतन मान :—

समय-मान रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250 (प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे)।

डाक सेवा निदेशक : रु० 1300–60–1600।

महापोसटमास्टर : रु० 1800–100–2000–125–2250।

सदस्य, डाक-तार बोर्ड : रु० 2250–125/2–2750।

Senior Members, Post and Telegraph Board Rs. 3000

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 के परखाधीन अधिकारी रु० 400–400–450–30–480–510 कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी।

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समयमान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय समय पर उचित समझ जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे। चुने हुए उम्मीदवारों को, सरकार के निर्देशानुसार सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा।

12. **भारतीय रेलवे लेखा सेवा—**

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी परख-अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं, पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा। सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता।

(ख) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित

परीक्षा पास करनी होगी। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो। हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परखावधि में पास कर लेनी चाहिये। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो। किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गए भारतीय रेलवे लेखा-सेवा अधिकारी के (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गये अधिकारी भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जोकि उसके वश के बाहर न हो भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उस के कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ज) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उस की नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(झ) वेतन-मान :—

(क) जूनियर रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०–35–950 (प्राधिकृत-मान)

सीनियर रु० 700 [छटे वर्ष या पहले–40––1100–50/2–1250 (प्राधिकृत-मान)]

जूनियर प्रशासनिक-मानक 1300–60–1600 (प्राधिकृत-मान)

सीनियर प्रशासनिक मान रु० 1800–100 2000–125–2250 (प्राधिकृत-मान)

(ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख-अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षायें पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से रु० 450 तक की उस की वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा। तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्योंहि निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्योंहि उसको रु० 400–950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमांत परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उन की कार्य ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उस के बाद ही उन का वेतन समयमान में रु० 400 प्रति मास से रु० 450 प्रति मास किया जा सकेगा ।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा ।

13. **सैनिक भूमि और छावनी सेवा (श्रेणी I और श्रेणी II)**

(क) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिस की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि छः महीने से कम नहीं होगी ।

(ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षायें पास करनी होंगी ।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उस के कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा ।

(ii) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी के ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उस की परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है ।

(iii) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उस की नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उस का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है । परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा ।

(घ) यदि उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रतिमास मानी जाएगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस दे कर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा ।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उस की परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जायेगी ।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

(छ) वेतनमान इस प्रकार है :—

प्रशासनिक पद

(i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां । रु० 1800—100—2000 ।

(ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां । रु० 1600—100—1800 ।

(iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां । रु० 1300—60—1600 ।

(iv) सहायक निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां । रु० 1100—50—1400 ।

श्रेणी-I

	रु०
(v) उप-सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां, सैनिक संपदा अधिकारी और कार्य-पालक अधिकारी	400—400—450—30—510—कु० रो० 700—40—1100—50/2—1250 ।

श्रेणी-II

(vi) कार्यपालक अधिकारी	350—25—500—30—590—कु० रो०—30—800—कु० रो० 830—35—900 ।

(vii)	सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी	350–25–500–30 –590–कु० रो० –30–800 कु० रो० –830–35–900।

(ज) (i) श्रेणी i के अधिकारियों को, सामान्यतया, उप-सहायक निदेशक, सैनिक सम्पदा अधिकारी, श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जायेगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा-13 की उप-धारा—(4) के खण्ड (ङ) का उप खण्ड (1) लागू होता है ।

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यतया, उन छावनियों में नियुक्त किया जायेगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं ।

(झ) (i) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (by selection) की जाएंगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जायेगा जबकि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे] । श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जायेगा ।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी I से तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि श्रेणी-II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो ।

(ञ) समय-समय पर संशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी ।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना, कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से सम्बन्धित न हो ।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है ।

14. भारतीय रेलवे यातायात सेवा

(क) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जायेगा । उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी । इस अवधि में, उन्हें पैरा (ङ) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा । यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जायेगी तो उसके अनुसार, परख की कुल अवधि भी बढ़ जायेगी ।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी ।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जायेंगी । जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी । इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा । जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जायेगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षायें पास कर ली हों । ध्यान रहे कि ये परीक्षायें नियमित: प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जायें । क्योंकि विशेष (एक्सेप्शनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा । किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी वेतन-वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायेगी । किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद, परखाधीन अधिकारियों को एक अंतिम परीक्षा पास करनी होगी । यह परीक्षा व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की होगी । जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझ लिये जायेंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा । **जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षाएं पास करने और** पक्का होने पर, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतन-वृद्धियां ली जा सकेंगी ।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिए । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो ।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी :—

(क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा । वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी ।

(छ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी, भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार, छुट्टी पाने के पात्र होंगे ।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं । उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी ।

(ज) अधिकारियों को, आमतौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे । और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे । परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (project) या रेलवे में स्थानांतरित कर सकें ।

(झ) नियुक्त किये गये अधिकारियों की अपेक्षित वरीयता (रिलेटिव सीनियरिटी) आम-तौर पर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (order of merit) के अनुसार निश्चित की जायेगी यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख-अवधि बढ़ानी पड़े तो इससे उसकी वरीयता (सीनियरिटी) भी घट सकेगी । वैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित करने का अधिकार है । उसको यह भी अधिकार है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार वरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है ।

(ञ) वेतन मान :—

जूनियर—रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०—35–950 (प्राधिकृत मान) ।

सीनियर—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40–1100–50/2–1250 (प्राधिकृत मान) ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300–60–1600 (प्राधिकृत मान) ।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1800–100–2000–125–2250 (प्राधिकृत मान) ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जायेंगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी । और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा ।

यदि परखाधीन अधिकारी अपनी परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

परख-अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400 से 950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी । अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जायेगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उससे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनको नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा ।

(ट) वेतन-वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी ।

(ठ) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति (establishment) स्थापना में खाली जगहें होने पर ही की जायेंगी और पूर्णरूप से चुना (selection) के आधार पर ही की जायेंगी । एकमात्र वरीयता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता ।

(ड) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो बार में प्रशिक्षण लेना होगा । इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है । परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और

परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जायेगा जब तक कि वे परीक्षायें पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है । इसमें महाप्रबंधकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए ।

नोट 4—प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी को गार्ड, यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फ़ोरमैन, ट्रेन परीक्षक, सहायक लोको फ़ोरमैन, सहायक नियंत्रक आदि की हैसियत से कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है । प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जब परिवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात किया जाता है तो उसे अपना कार्य करने के लिये यात्रा करनी पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनों पर "पड़ाव" की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उसे दुर्घटना स्थलों की जांच के लिए किसी भी समय जाना पड़ता है तथा नियंत्रण कार्यालयों (Control Offices) और स्टेशनों का निरीक्षण करना पड़ता है । इस सबके लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित होता है तथा रात को भी काम करना पड़ता है ।

(1) पाठ्यक्रम की अवधि—दो वर्ष ।

	विषय	अवधि
		मास
1	राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी .	4
2	एरिया स्कूल, गार्ड की ड्यूटी सीखने के लिए	1
3	गार्ड का काम . . .	2½
4	बड़ौदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण का पहला दौर	3
5	टिकट घर, पार्सल कार्यालय, माल-गोदाम और यानान्तरण शैड . .	1
6	यातायात लेखा कार्य, जिसमें दौराकार लेखा-निरीक्षक के साथ काम करना और स्टेशन पर खुद संतुलन-पत्र बनाना भी शामिल है . . .	1¼
7	एरिया स्कूल में, सहायक स्टेशन मास्टर की योग्यता प्राप्त करने के लिए .	1
8	यार्डमास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमन और गाड़ी परीक्षण का काम	3
9	सहायक लोको फोरमैन का काम .	½
10	सहायक नियंत्रक का काम . .	2
11	बड़ौदा स्टाफ कालिज में प्रशिक्षण (दूसरा दौर)	1½
12	(क) डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न कार्यालय में प्रशिक्षण	1
	(ख) सहायक बिजली नियंत्रक का प्रशिक्षण	1½
13	मुख्यालय (परिचालन कार्यालय) में प्रशिक्षण	1½
14	मुख्यालय (वाणिज्य कार्यालय) में प्रशिक्षण	1½
		23½
	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों को करने के लिये की जाने वाली यात्रा के लिये और अपरिहार्य छुट्टियों के लिये नियत की गई अवधि	½
	कुल	24 मास

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जायेगा । परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निश्चित समय पर ली जायेगी ।

नोट—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतंत्र रूप से गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा ली जाये और योग्य घोषित किया जाये ।

15. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	रु० 1100–50–1300–60–1600–100–1800
ग्रेड-I अवर सचिव	रु० 900–50–1200
अनुभाग अधिकारी ग्रेड-I	रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–30–830–35–900 ।
सहायक ग्रेड	रु० 210–10–270–15–300–कु० रो०–15–450–कु० रो०–20–530 ।

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल-सचिवालय आधार पर गृह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं ।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस परख अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षायें पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को, सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड-I में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे ।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे ।

16. **सीमाशुल्क मूल्यांकन सेवा, क्लास II**

(क) मूल्यांकन ग्रेड में रु० 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–830–35–900 के वेतनमान में भरती की जाती है । नियुक्तियां दो वर्ष के लिये परिवीक्षा के आधार पर की जाती हैं तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी, यदि चाहे तो, बढ़ा भी सकता है । परिवीक्षा काल में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । उन्हें रु० 375 से ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया जायेगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते ।

(ख) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति पर नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा जो उचित समझे, वह आदेश दे सकता है ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संबद्ध ग्रेड में स्थायी करने पर विचार किया जायेगा ।

(घ) मूल्यांकक की हैसियत से पांच वर्ष सेवा कर लेने के बाद उम्मीदवार मुख्य मूल्यांकक (Principal Appraiser) के अगले उच्च ग्रेड (रु० 600–35–950) में पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे । उसके बाद वे सहायक कलेक्टर के अगले उच्च ग्रेड (रु० 400–1250) में पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे ।

(ङ) अवकाश, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के अन्य क्लास II अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे । जहां तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा शुल्क मूल्यांकक सेवा, क्लास II, की भरती नियमावली की व्यवस्थाएं लागू होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उपादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड" के आधीन किसी भी समान या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

17. **दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा श्रेणी-II**

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगी । परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी ।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I—(सलक्शन ग्रेड)—रु० 900–50–1200 ।

ग्रेड II—रु० 300–30–510–कु० रो०–30–600–40–720–कु० रो०–40–800–50–850 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये व्यक्ति की नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतनमान में कम-से-कम वेतन मिलेगा ।

उक्त सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर मान पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे ।

(च) उक्त सेवा के अधिकारी उसी दर से महंगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होगी ।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिये ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और जिन स्थानों के लिये ये भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

18. **रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II**

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतनमान हैं :—

सेवा	वेतनमान
(i) सहायक निदेशक अवर सचिव	रु० 900—50—1250
(ii) अनुभाग अधिकारी	रु० 350—25—500—30—590—कु० रो०—30—800—कु० रो०—30—830—35—900 ।
(iii) सहायक	रु० 210—10—270—15—300—कु० रो०—15—450—कु० रो०—20—530 ।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस परख-अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको सामान्यतया अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव की सामान्यता शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक, अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव, रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे ।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं ।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege Ticket orders) लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ञ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकारी भी) ।

(क) रेलवे पेंशन रूल से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अन्तर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

19. **मणिपुर पुलिस सेवा, क्लास II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहेतो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

रु० 300–25–450–द० रो०–30–600–द० रो०–30–900 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर पुलिस सेवा नियमावली, 1965 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

20. **त्रिपुरा पुलिस सेवा क्लास** II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

रु० 300–30–510–द० रो०–30–750–द० रो०–30–900 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा पुलिस सेवा नियमावली, 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

21. **मणिपुर सिविल सेवा क्लास** II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है, तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

वेतनमान—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 1000–40–1200 ।

ग्रेड II—रु० 350–30–500–द० रो०–30–650–द० रो०–35–1000 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर सिविल सेवा नियमावली, 1965, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

22. **त्रिपुरा सिविल सेवा, क्लास** II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 1,175/- (नियत)

ग्रेड II (समय वेतनमान)—रु० 325–30–475—35—545—द० रो०—35—825—द० रो०—35—1000/-

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

23. **गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा, क्लास II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उस से यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे,—बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतन मान :—

ग्रेड I (चयन ग्रेड—रु० 700–40–1100–50/2–1250/-

ग्रेड II रु० 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35—900/-

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर गोआ, दमन, तथा दियु सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

24. **पांडिचेरी सिविल सेवा, क्लास II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा। परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरंत अलग कर सकता है।

(ग) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जाएगा। यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I रु० 375–25–800/-

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किए गए व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिये प्रकाशित किये जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अभीष्ट शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य-परीक्षकों (Medical Examiners) के लिए भी सामान्य निर्देश हैं तथा जो उम्मीदवार

इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरी नहीं करता उसे स्वास्थ्य-परीक्षक स्वस्थ घोषित नहीं कर सकते । किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह, लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए, भारत सरकार से यह सिफारिश कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सरकारी सेवा में लिया जा सकता है और इस से सरकार को कोई हानि नहीं होगी । किन्तु यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार को स्वास्थ्य-परीक्षा-बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । रक्षा सेवाओं के विकलांग भूतपूर्व कर्मचारियों को, संबद्ध सेवा (ओं) की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य-स्तर में छूट दी जाएगी ।)

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए । यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा ।

(ख) निश्चिय सेवाओं के लिए कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता ।

	कद	छाती का घेर (पूरा फैला कर)	फैलाव
	सें० मी०	सें० मी०	सें० मी०
(1) भारतीय रेल यातायात सेवा ।	152	84	5 (पुरुषों के के लिए)
	150	79	5 (महिलाओं के लिए)
(2) भारतीय पुलिस, दिल्ली, हिमाचल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा क्लास II मणिपुर/त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास II	165	84	5 (पुरुषों के लिए)
	150	79	5 (महिलाओं के लिए)

गोरखा, गढ़वाली, असमिया, आदिम जातियों आदि के उम्मीदवारों के लिए, जिनका औसत कद विशेष रूप से कम होता है, कम-से-कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है ।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितंब और कंधे माप-दंड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (बटैक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजैंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जायेगा ।

(4) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं जिससे कि फीता न हिले । अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती का अधिक-से-अधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम-से-कम और अधिक-से-अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84–89, 86–93.5 आदि नाप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से भिन्न फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा । आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

6. उम्मीदवार की नज़र की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा :—

(i) सामान्य जनरल—किसी रोग या विलक्षणता (एबनार्मोलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जायेगी । यदि उम्मीदवार को ऐसा भेंगापन या आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कंटिगुअस स्ट्रक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

(ii) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी)—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिये दो जांचें की जायेंगी, एक दूर की नज़र के लिए और दूसरी नज़दीक की नजर के लिए । प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जायेगी ।

चश्मे के बिना नज़र (नेकेड आई विज़न) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक-इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नज़दीक की नज़र का मानक निम्नलिखित होगा :—

	दूर की नज़र		नज़दीक की नज़र	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
1. भारतीय रेलवे यातायात सेवा।	6/9	6/9 अथवा 6/6 6/12	0.6	0.8
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड-II) श्रेणी-I, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, भारतीय रक्षा लेखा, सेवा, भारतीय आयकर सेवा (श्रेणी-I) भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा, श्रेणी-I (सहायक प्रबंधक, अतकनीकी) भारतीय डाक-सेवा, श्रेणी-I, सैनिक भूमि और छावनी सेवा श्रेणी-I, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II सीमा शुल्क मूल्य-निरूपक सेवा श्रेणी-II, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी-II सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी-II, मणिपुर सिविल सेवा, क्लास-II, त्रिपुरा सिविल सेवा, क्लास-II, गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा, क्लास-II, तथा पांडिचेरी सिविल सेवा, क्लास-II	6/9	6/9 अथवा 6/6 6/12	0.6	0.8
3. भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी-II, मणिपुर पुलिस सेवा क्लास-II, त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास-II	6/9	6/9 अथवा 6/6 6/12	0.6	0.8

नोट —

ऊपर संख्या 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिए प्रत्येक आंख में मायोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत)—4.00 से अधिक नहीं होगी। हाइपरमेट्रोपिया की कुल मात्रा प्रत्येक आंख में—4.00 डी से अधिक नहीं होगी।

ऊपर संख्या में उल्लिखित सेवाओं के लिए प्रत्येक आंख में मायोपिया की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत)—8.00 से अधिक नहीं होगी। हाइपरमेट्रोपिया की कुल मात्रा प्रत्येक आंख में—6.00 डी से अधिक नहीं होगी।

(3) फंडस परीक्षा—जब कभी सम्भव होगा मेडिकल बोर्ड की इच्छा पर फंडस परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड किये जायेंगे।

(4) कलर विज़न—(i) ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिये रंगों के संबंध में नज़र की जांच जरूरी है।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी।	4.9 मीटर	4.9 मीटर

2. द्वारक (एपचर) का	1.3 मि० मीटर	1.3 मि० मीटरआकार।
3. दिखाने का समय	5 सैकंड	5 सैकंड

जनता की सुरक्षा से सम्बन्धित सेवाओं के लिए जैसे पाइलट, ड्राइवर, गार्ड आदि, के लिए कलर विज़न का हायर ग्रेड अनिवार्य है लेकिन अन्य सेवाओं के लिए कलर विज़न का लोअर ग्रेड ही काफ़ी समझना चाहिए।

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विज़न है—इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और अच्छी रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विज़न की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वासनीय समझा जायेगा। वैसे तो दोनों जांचों से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं के लिये लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिये।

(5) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विज़न)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रंट्रेशन मेथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पेरीमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

(6) रतोंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतोंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है, रतोंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई नियत स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम-चलाऊ टेस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवाकर दृष्टि की पकड़ रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

(7) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडिशन्स)—(क) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तम त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रैक्टिवएरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा)—यदि रोहे जटिल न हों तो वे आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भेंगापन (स्क्विंट)—ऊपर 1 और 3 में लिखी सेवाओं के लिए द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजमी है। नियत स्टैंडर्ड की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दूसरी सेवाओं के लिए उस हालत में भगापन को अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिऐ जब दृष्टि की पकड़ नियत स्टैंडर्ड की हो।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती।

(7) **ब्लड प्रेशर**

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+ आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाये। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए की उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिये कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) है, [ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत् हृल्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़िक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (लोयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार को योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।]

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमत : पारेवाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ-कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिएं। कफ़ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भूजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रकिअल आटरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इस के उपर बीचों-बीच स्टैथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ़ के साथ न लगे। कफ़ में लगभग 200 m. m. Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाती है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई-सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफ़ी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोमकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ़ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ़ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज़ मेह (ग्लाइकोसुलिरआ) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज़ मेह अमधु मेही (नानडाय-बेंटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो, इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर आयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। रेलवे सेवाओं के लिए यह बात लागू नहीं है।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं; और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा।)

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वरिकोसील शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं। जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

10. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

नोट—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टेंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है। किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलतीकी संभावना के सम्बन्ध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अंदर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बार्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाणपत्र पेश करें तो इस प्रमाणपत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि इसमें सम्बन्धित मेडिकल प्रक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाणपत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका है।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टेंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (आपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिसे वह उस सेवा के लिए आयोग्य हो या आयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना

का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर की मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिये कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को आयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया जाये तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम-से-कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिये। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिये।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिये। नीचे दिये गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

1. अपना पूरा नाम लिखें.....
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं.....

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियों (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमैटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मैडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का अन्तिम टीका कब लगा था?

5. क्या आपको या आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को तपेदिक, स्कोफ्यूला, गाऊट, दमा, दौरे (फिट्स), मिरगी (एपिलेप्सी) या पागलपन (इन्सेनिटी) हुआ है?

6. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

7. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा दें।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थय की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण
आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थय की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थय की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण
आपकी कितनी बहिनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थय की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

8. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है? .....

9. यदि उपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी? .....

10. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?.....

11. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?.....

12. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।.....

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर.....

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्ति हो भी जाये तो बार्धक्य निवृत्ति भत्ता [सुपरएनुएशन अलाउंस या उपदान (ग्रेचुअटी)] के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ..... की शारीरिक परीक्षा की/मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा.....बीच का....कम
पोषण : पतला.....औसत.....मोटा.....
कद (जूते उतार कर).....वजन.....
अत्युत्तम वजन..... कब था ?.....
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन.....
तापमान.....
छाती का घेर.....

(1) पूरा सांस खींचने पर.....
(2) पूरा सांस निकालने पर.....

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी.....

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी.....
(2) रतौंधी.....
(3) वलर विजन का दोष.....
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन).....
(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी).....

दृष्टि की पकड़	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल	सिलि०	अक्ष
दूर की नजर	दा० ने०				
	बा० ने०				
पास की नजर	दा० ने०				
	बा० ने०				
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०				
	बा० ने०				

4. कान : निरीक्षण.....सुनना :
दायां कान.....बायां कान.....

5. ग्रंथियां.....थाइराइट.....

6. दांतों की हालत.....

7. श्वसन तंत्र (रस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्योरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेरेटी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन) ?
.....
गति रेट :
खड़े होने पर :
25 बार कुदाए जाने के बाद.....
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद.....

(ख) ब्लड प्रेशर.....सिस्टालिक...डायस्टालिक
.....

9. उदर (पेट) : घेर.....दाब वेदना (टैंडरनैस) हर्निया.....

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर.....तिली.....
गुर्दे.....ट्यूमर.....

(ख) बवासीर के मस्से .....फिस्चुला.....

10. तांत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत.....

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता.....

12. जनन-मूत्र तंत्र (जनिटो यूरिनरी सिस्टम)/हाइड्रीसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत। मूत्र परीक्षा :

(क) कैसा दिखाई पड़ता है
(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)
(ग) एलब्यमेन
(घ) शक्कर
(ङ) कास्ट
(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है जिसके लिये वह उम्मीदवार है ?

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा, मणीपुर पुलिस सेवा तथा त्रिपुरा पुलिस सेवा.....

(ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I और II मणिपुर सिविल सेवा, त्रिपुरा सिविल सेवा, गोआ, दमन तथा

दियु सिविल सेवा, पांडिचेरी सिविल सेवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा

(ii) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नज़र, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें)।

(ग) भारतीय रेलवे के परिवहन (यातायन) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें)।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिये योग्य है।

नोट—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये।

(i) योग्य (फिट)

(ii) आयोग्य (अनफिट) जिसका कारण........

(iii) अस्थायी रूप से आयोग्य, जिसका कारण......

स्थान...........अध्यक्ष (प्रेसिडेंट).............

तारीख................ सदस्य.............

सदस्य.............

वित्त मन्त्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1968

संकल्प

फा० सं० 34(1)ई०V/68—सामान्य सूचना के लिए घोषणा की जाती है कि सामान्य भविष्य निधि और ऐसी ही अन्य निधियों के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) के 31 मार्च, 1968 को जमा पर, तथा जमा-बाकी पर भी व्याज की दर सभी खातों में पहले 10,000 रु० की रकम पर 5.10 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 10,000 रु० से जितनी भी रकम अधिक होगी उस पर 4.80 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ये दरें 1 अप्रैल 1968 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू रहेंगी। सम्बन्धित निधियां ये हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)
2. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)
3. सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि)
4. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
5. इण्डियन सिविल सरविस भविष्य निधि
6. अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधि
7. भारतीय युद्ध-सामग्री विभाग भविष्य निधि
8. इण्डियन सिविल सरविस (गैर यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि
9. रक्षा सेवाएं अधिकारी भविष्य निधि
10. अन्य विभिन्न भविष्य निधि (रक्षा)
11. सशस्त्र सेना कर्मचारी भविष्य निधि
12. सैनिक इंजीनियरी सेवाएं भविष्य निधि
13. भारतीय युद्ध सामग्री कारखाना कामगार भविष्य निधि
14. अंशदायी भविष्य निधि (रक्षा)
15. भारतीय नौ सेना डाकयार्ड कामगार भविष्य निधि

2. रेल मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित, विभिन्न भविष्य निधियों में जमा-बाकी पर सम्बन्धित-वर्ष में ब्याज की दर के बारे में आवश्यक आदेश रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के गजट में प्रकाशित किया जाय।

प्रे० न० मल्होत्रा, अवर सचिव

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय

(स्वास्थ्य एवं नगर विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1968

संकल्प

विषय :—नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की पुनरीक्षा के लिए जांच समिति।

प० सं० 10-41/67-अस्पताल—उपर्युक्त विषय पर इस मन्त्रालय के दिनांक 16 नवम्बर, 1967, 25 नवम्बर, 1967, 15 दिसम्बर, 1967, 6 फरवरी, 1968 तथा 16 मार्च, 1968 के इसी संख्या के संकल्पों के सन्दर्भ में इस समिति का कार्यकाल अप्रैल 1968 के अन्त तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है। दूसरे अनुबन्ध तथा शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मन्त्री सचिवालय, राज्य सभा तथा लोक सभा सचिवालय, भारत सरकार के सभी मन्त्रालय तथा विभागों, मन्त्री मण्डल सचिवालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक और समिति के सदस्यों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

र० न० मधोक, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

(भ० कृ० अनु० परि०)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1968

सं० 28(1)/67 सी०डी०एन० (1)—भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की नियमावली के नियम 75, जिसे नियम 77 तथा 7 के साथ पढ़ा जाये, में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत, प्रोफेसर रवी जे० मथायी, निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, जिन्हें कि इस मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 26(1)/66-सी०डी०एन० (1), दिनांक 18 नवम्बर, 1966, के द्वारा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की कृषि अर्थशास्त्र, सांख्यकी

तथा विपणन अनुसन्धान की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था, के स्थान पर खाद्य, तथा कृषि मन्त्री डा० डी० के० देसाई, प्रोफेसर, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, को 19 अप्रैल, 1968 से 14 नवम्बर, 1969 तक की अवधि अथवा जब तक उनके द्वारा समिति में उनका उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाए जो भी अवधि पहले समाप्त हो, के लिए उक्त समिति के सदस्य के रूप में प्रसन्नतापूर्वक नियुक्त करते हैं।

पी० एस० हरीहरन, उप सचिव

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1968

संस्ताव

पत्तन

सं० 9 पी० जी० (23)/68—भारत सरकार को कलकत्ता पत्तन की 1966–67 की रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिये जाते हैं :

वित्तीय स्थिति— विचाराधीन वर्ष में पोर्ट कमिश्नर की राजस्व प्राप्तियां 2045.46 लाख रुपये की थी। पिछले वर्ष यह संख्या 1855.74 लाख रुपये थी।

विचाराधीन वर्ष में 2357.02 लाख रुपये व्यय हुये। पिछले वर्ष यह संख्या 2030.04 लाख रुपये थी। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति 311.56 लाख रुपये के घाटे से हुई। पिछले वर्ष 174.30 लाख रुपये का घाटा रहा था। पत्तन प्रभार में बढ़ोतरी के होते हुये भी 1966–67 में घाटा इन कारणों से हुआ—पूरे वर्ष के लिये दो बढ़ोतरियों के बारे में पत्तन प्रभार की वृद्धि के लाभ के उपलब्ध न होने के कारण, महंगाई भत्ते की वृद्धि से व्यय में बढ़ोतरी की पूर्त्ति के लिए यातायात में वृद्धि का न होना वेजबोर्ड द्वारा सिफारिश की हुई अन्तरिम पूर्त्ति, बालकों का शिक्षा भत्ता और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्त्ति, बोनस के स्थान पर अनुग्रह पूर्वक अदायगी और लगभग 270 लाख रुपये तक ऋण प्रभार में वृद्धि का होना।

पूंजीगत निर्माणकार्यों के खर्च के लिए कमिश्नरों ने इस वर्ष 8.54 करोड़ रुपये उधार लिये। 31 मार्च 1967 को राजस्व आरक्षण और अन्य निधियों में सम्पूर्ण अधिशेष 465.04 लाख रुपये था।

यातायात : विचाराधीन वर्ष में इस पत्तन से होने वाले कुल आयात और निर्यात की संख्या क्रमशः 5.79 मिलियन टन और 4.31 मिलियन टन थी। 1965–66 में ये संख्यायें क्रमशः 5.28 मिलियन टन और 4.56 मिलियन टन थी।

पत्तन रेल : 1966–67 में रेल से प्राप्त आमदनी की राशि 273.05 लाख रुपये थी। 1965-66 में यह राशि 272.34 लाख रुपये थी।

यात्री यातायात : सागरगामी पोतों से जाने और उतरने वाले यात्रियों की संख्या क्रमशः 9,678 और 115 थी। 1965-66 की ये संख्यायें क्रमशः 10,094 और 109 थी।

नौवहन : 1966-67 में पत्तन में आने वाले पोतों की संख्या 1,678 थी। पिछले वर्ष यह संख्या 1,623 थी।

हल्दिया लंगरगाह : खाद्यान्नों के लदे गहरे डुबाव के पोतों को हल्का करने के लिये इस वर्ष लंगरगाह का उपयोग नहीं किया गया। केवल एक पोत ने 2,520 टन के खनिज लौह को लादने के लिये लंगरगाह का उपयोग किया। तीन सुपर टैंकरों ने 117,146 टन खाद्यान्न की कुल मात्रा को सौगरमार्ग पर लिबर्टी पोतों में उतारा।

नदी माडल प्रयोग : नौचालन की विभिन्न समस्याओं पर जलीय अध्ययन विभाग द्वारा कई प्रकार के अध्ययन किये गये। माडलों पर जो प्रयोग प्रगति कर रहे थे उनका सम्बन्ध इन से है—कलकत्ता में हुगली का प्रस्तावित घाट, हल्दिया-बलारी जलमार्ग में सुधार करने और स्थिर करने के लिए नयाचारा द्वीप के पश्चिम की ओर पर स्परों के संरेखण और विन्यास करना तथा हल्दिया में प्रस्तावित मत्स्य पत्तन के लिये विन्यास करना।

श्रम और श्रम कल्याण उपाय : विचाराधीन वर्ष में पत्तन में श्रम स्थिति संतोषजनक रही। सिवाय इसके कि बीच-बीच में थोड़े समय के लिये काम रोका गया और तत्काल हड़तालें हुईं।

पत्तन प्रभार : वर्ष में पत्तन प्रभार में दो बड़ी वृद्धियां हुई। एक से 150 लाख रुपये वार्षिक के अतिरिक्त राजस्व के होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के घाटे की पूर्त्ति करेगा और दूसरे से 88 लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त राजस्व के होने का अनुमान है जो अवमूल्यन से हुए 150 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की अंशतः पूर्त्ति करेगा।

हुगली कनहार : 1966–67 में कनहार से 70.10 लाख रुपये की आमदनी हुई और 64.12 लाख रुपये का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 5.86 लाख रुपये का अधिशेष रहा।

पत्तन विकास : इस वर्ष पूंजीगत निर्माणकार्यों में 985.86 लाख रुपये का व्यय हुआ।

1966–67 में विभिन्न योजना स्कीमों पर पर्याप्त प्रगति की गई। इस वर्ष जो महत्वपूर्ण परियोजनायें पूरी की गईं वे ये हैं, 138 लाख रुपये की लागत से एक ग्रैब ड्रैजर का निर्माण, 208 लाख रुपये की लागत से दो 1,400 टन के हापर बजरों का निर्माण, 262 लाख रुपये की लागत से एक छोटे सक्शन ड्रैजर का निर्माण और 110 लाख रुपये की लागत से संख्या 2 स्विंग पुल को एक बिजली चालित बैस्कयूल पुल द्वारा पुनर्स्थापित किया जाना।

अभिस्वीकरण : विचाराधीन वर्ष में पोर्ट कमिश्नरों द्वारा किये गये कार्य की सरकार सराहना करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रतिलिपि समस्त संबद्ध को भेज दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

जेड० एस० झाला, संयुक्त सचिव

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1968

संकल्प

सं० वि० का० 5.516(1)/67—सिंचाई व बिजली मन्त्रालय भारत सरकार, के समय समय पर संशोधित संकल्प सं० वि० का० 14(7)/54, दिनांक 8-9-1954 के अधीन स्थापित केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड को निम्नलिखित रूप से पुनर्गठित किया जाता है :—

1. केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री	अध्यक्ष
2. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मन्त्रालय में केन्द्रीय राज्य मन्त्री	उपाध्यक्ष
3. सदस्य, योजना आयोग, सिंचाई पक्ष के इन्चार्ज . . .	सदस्य
4. सिंचाई व बिजली मन्त्रालय में केन्द्रीय उपमन्त्री . . .	सदस्य
5. सचिव, सिंचाई व बिजली मन्त्रालय	सदस्य
6. सदस्य इन्जीनियरी (तथा सरकार के पदेन सचिव) रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड)	सदस्य
7. महानिदेशक, सड़क विकास व अपर सचिव, परिवहन मन्त्रालय	सदस्य
8. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग	सदस्य
9. संयुक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग) . . .	सदस्य
10. महानिदेशक, वैधशाला, भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग . .	सदस्य
11. प्रत्येक राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड का एक-एक प्रतिनिधि—आन्ध्र प्रदेश, असम बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, व काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश मद्रास मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	सदस्य
12. मुख्य इन्जीनियर—बाढ़ नियन्त्रण केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग . .	सदस्य-सचिव

केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड का कार्य निम्नलिखित होगा :

(1) बाढ़ों और बाढ़ नियन्त्रण उपायों के सम्बन्ध में साधारण सिद्धान्तों और नीतियों को बनाना।

(2) बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्यों अथवा नदी आयोग द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

(3) बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अन्वेषण, आयोजन और कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक सहायता का प्रबंध करना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों, प्रधान मन्त्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, संसदीयकार्य विभाग, राज्य/लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और राज्य सरकारों से भी प्रार्थना की जाए कि वे भी इसे आम जानकारी के लिए राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित कर दें।

के० पी० मथानी, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd May 1968

No. 28-Pres./68.—The President is pleased to approve the award of SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK, to the undermentioned person for conspicuous courage under circumstances of very great danger to his own life :—

SHRI RAMESH CHANDRA NIGAM,
Safety Officer,
Laikdih Deep Colliery. (*Posthumous*)

On the 22nd February, 1967, as a result of blasting operations in the Laikdih Deep Colliery of District Dhanbad, the ventilation appliances became seriously affected, resulting in heavy accumulation of inflammable gas in a 60 metre long blind heading. A Mining Sirdar who had entered the heading for inspection fell unconscious after having advanced about 20 metres. Shri Ramesh Chandra Nigam immediately rushed to rescue the Sirdar with the help of Shri B. N. Kundu, Ventilation officer. In spite of the fact that their safety lamps got extinguished and the irrespirable nature of the atmosphere was evident they proceeded further and succeeded in dragging out the unconscious Mining Sirdar for a distance of about 3 metres, but then collapsed. On seeing this, three stone-cutters Sarvashri Banwari Singh, Domor Mahato and Chandrika Singh went inside the heading and succeeded in bringing out the Mining Sirdar who unfortunately was found to be dead and the unconscious Shri B. N. Kundu, intending to bring out Shri R. C. Nigam in the next attempt.

When the stone-cutters went in a second time, they could not reach Shri Nigam. In the meantime he had regained consciousness and proceeded further into the heading with the object of rescuing the Mining Sirdar, whom he thought to be still inside, and had collapsed again. Shri Nigam was dead before he could be rescued.

Shri Ramesh Chandra Nigam showed conspicuous courage in repeatedly going to the rescue of the mining Sirdar under circumstances of very great danger to his own life which he sacrificed in the attempt.

No. 29-Pres./68.—The President is pleased to approve the award of the Uttam Jeevan Raksha Padak to the undermentioned persons for courage and promptitude under circumstances of great danger to their own lives :—

1. SHRI APPASAHEB BABAJI CHOWGULE,
   Arjunwad, Taluka Shirol,
   District Kolhapur.
2. SHRI NARSU MALLIWADE,
   Arjunwad, Taluka Shirol,
   District Kolhapur.

On the 31st July 1964 Shrimati Shevantibai Tate, aged 17 years, residing at Umalwad, Taluka Shirol, District Kolhapur, was doing her washing on the banks of the river Krishna, when the ground gave way beneath her feet and she was carried away by the strong current in spite of her efforts to swim towards the bank. When she had been carried about 8 miles down stream by the river which was in full spate, Shri Appasaheb Babaji Chowgule and Shri Narsu Malliwade, who were working in the fields spotted her. They at once

jumped into the water and after swimming for about 3 furlongs in the strong current, brought her to the bank and thus saved her life.

Sarvashri Appasaheb Babaji Chowgule and Narsu Malliwade displayed courage of a high order in risking their own lives in order to save the young woman.

3. SHRI SHARASHCHANDRA KANHAIYALAL PANDYA,
Amravati, District Amravati. (*Posthumous*)

On the 26th April, 1966, the Solvent Extraction plant of the Laxmi Oil Industries at Amravati caught fire. Due to excessive pressure in the plant, a heavy leakage was noticed. Shri Sharashchandra Kanhaiyalal Pandya, an operator of the mill, exhibited uncommon courge and succeeded in manipulating the valve connecting the plant with the main petroleum storage thus averting a major explosion and consequent disaster and loss of lives of many workers. Shri Sharashchandra Kanhaiyalal Pandya, could not however, escape before the highly inflammable gas caught fire and caused him severe burns. He was admitted to the hospital but died the next day. By his quick presence of mind, devotion to duty, and courageous action at the cost of his own life he averted a much greater disaster and loss of life.

4. SHRI CHANDRASHEKAR GURUBASAPPA ANGADI

On the 19th September, 1966 Shrimati Annapurnawwa wife of Gurubasappa Ilalashettar of Guledgud slipped and fell into a well. Shri Chandrashekar Gurubasappa Angadi, a student aged 18 years without caring for his own life immediately jumped into the well, which was 50 feet deep, narrow and full of stones, and saved the woman. Shri Chandrashekar Gurubasappa Angadi showed courage and promptitude and acted at great personal risk to save the life of the woman.

5. MASTER CHRISTOPHER WALLINGTON,
C/o Shri N. K. Wallington,
Dunlop India Ltd.,
P.O. Sahaganj, District Hooghly,
West Bengal.

On the 8th May, 1967 a mother took her 5 years old son to the swimming pool in the compound of the Dunlop India Ltd., Sahaganj, District Hooghly, West Bengal. Unnoticed by the mother the boy slipped into the pool. By the time she realised that the child was missing, the child had been long enough in the water to have sunk to the bottom of the deep end of the pool. The frantic cries of the mother brought a few persons to the scene, but none of them did anything to save the drowning child. The repeated cries of the mother also attracted the attention of Master Christopher Wallington, a young boy of 12 years of age, who rushed to the scene. Without caring for his personal safety the boy at once dived into the pool with his clothes and shoes on and rescued the child. When the child was brought out there was no heart beat and the pulse was so faint that it could hardly be felt but it survived. In saving the child Master Christopher Wallington displayed courage and promptitude under circumstances of great danger to his life.

6. SHRI BHALCHANDRA VASUDEV CHOUGULE,
Gauri Puda, Bhiwandi,
District Thana. (*Posthumous*)

On July 6, 1965, early in the morning Shri Bhalchandra Vasudev Chougule, Shri Shashikant Pawaskar and Shri Parab proceeded to the little lake in Aquem for a bath. Shri Pawaskar, who was learning to swim, got into difficulties and was about to be drowned. On seeing this Shri Parab rushed to his rescue but was completely exhausted in his effort and returned to the shore quite dazed. Shri Chougule, an expert swimmer, went to the rescue but in his struggle to save himself Shri Pawaskar caught hold of Shri Chougule by the neck.

Shri Parab who by then had recovered slightly from exhaustion and shock shouted for help. Immediately some people gathered round and Shri Chougule and Shri Pawaskar were taken out of the water and rushed to hospital. At the hospital they were, however, found to be dead.

Shri Bhalchandra Vasudev Chougule, in trying to rescue one of his colleagues, performed a meritorious act of a humane nature at the cost of his own life.

7. SHRI JOHNNY FERNANDES,
Baina, Vasco-da-Gama,
Goa. (*Posthumous*)

On the morning of 29th May, 1966 two Naval Petty Officers Shri S. Singh and Shri S. R. Singh had gone ashore for a swim to Suravel springs. Whilst swimming Shri S. R. Singh shouted for help and his colleague tried to bring him ashore, but found it difficult to accomplish this task alone. He therefore waded out of the water and rushed to some civilians who were playing on the beach.

The civilians including Shri Johnny Fernandes rushed in to save Shri S. R. Singh from drowning. They succeeded in bringing him ashore. While he was being given first aid treatment, it was noticed that Shri Johnny Fernandes was missing. A thorough search was carried out and his body was found floating on the water. Immediate medical assistance rushed from the Naval Air Station, Dabolim did not help in saving Shri Fernandes. Shri Johnny Fernandes had shown conspicuous courage and promptitude in attempting to save a man at the cost of his own life.

8. SHRI DILWAR HUSSAIN,
Timber Mistry,
Lower Badjna Colliery,
P.O. Nirsa, District Dhanbad.

9. SHRI SULEMAN MIAN,
Machine Driller,
Khas Badjna Colliery,
P.O. Nirsa, Dhanbad.

10. SHRI MOHD. SAYED MIAN,
Shot Firer,
Khas Badjna Colliery,
P.O. Nisra, District Dhanbad.

On the 11th January, 1966, while seven mine-workers were working in the underground workings of Lower Badjna Colliery a mass of roof stone came down suddenly. Four of them were killed on the spot, two received serious injuries and another, Shri Basir Mian was entrapped under the fall and lay crying for help. It was estimated that he was about 4 to 5 metres inside the roof. The roof above was overhanging and the approach to the man was very difficult and dangerous. Nevertheless when the Chief Inspector of Mines called for volunteers Shri Dilwar Hussain, Timber Mistry of Lower Badjna Colliery and Sarvashri Suleman Mian and Mohd. Sayed Mian of Khas Badjna Colliery at once offered their services. Cutting and driving through the fallen stone, shale and coal, they approached the entrapped man. This took them more than 13 hours to reach him. During all this period there was every likelihood of further roof falls which could bury and kill the three rescuers at any moment. Shri Basir Mian was extricated by carefully pulling him out with a rope tied around him. Unfortunately he expired in hospital due to shock 11 hours after the rescue.

Sarvashri Dilwar Hussain, Suleman Mian and Mohd. Sayed Mian showed conspicuous courage in rescuing Shri Basir Mian under circumstances of very great danger to their lives.

11. SHRI BANWARI SINGH,
Village Dhobadih, P.O. Markarchoo,
District Hazaribagh.

12. SHRI DOMOR MAHATO,
Village Urro, P.O. Saria,
District Hazaribagh.

13. SHRI CHANDRIKA SINGH,
Village and Post Office Markarchoo,
District Hazaribagh.

On the 22nd February, 1967, as a result of blasting operations in the Laikdih Deep Colliery, District Dhanbad, the ventilation appliances became seriously affected, resulting in heavy accumulation of inflammable gas in a 60 metre long blind heading. A Mining Sirdar who had entered the heading for inspection, fell unconscious after having advanced about 20 metres. Shri R. C. Nigam and Shri B. N. Kundu who went to his rescue were overcome by gas and collapsed while trying to bring him out. On seeing this Sarvashri Banwari Singh, Domor Mahato and Chandrika Singh went

inside the heading and succeeded in bringing out the Mining Sirdar and Shri B. K. Kundu.

They rushed into the heading again to bring out Shri Nigam but could not reach him because in the meanwhile Shri Nigam had regained consciousness and proceeded inwards with the object of rescuing the Mining Sirdar, whom he thought to be still inside and had collapsed again. Shri Nigam was dead before he could be rescued.

In going to the rescue of fellow-workers in distress, Sarvashri Banwari Singh, Domor Mahato and Chandrika Singh repeatedly acted with conspicuous courage and promptitude under circumstances of very great danger to their own lives.

14. SHRI APPALAMANI PERUMAL NAIDU,
Junior Gas Inspector,
Rourkela Steel Plant,
Rourkela. (*Posthumous*)

On the 13th September, 1966, Shri A. P. Naidu received an urgent call from the Central Repair shop to correct the low pressure of fuel gas. Immediately he proceeded to the site, accompanied by a Gas Attendant, a Fitter and a Khalasi. The Gas Attendant and the Fitter were sent down a pit to open a valve to let out accumulated matter. Before they could bolt the valve back into place, they gave a distress signal. Fuel gas contains considerable amount of highly poisonous carbon monoxide gas, short exposure to which is generally fatal. Realising the danger Shri Naidu directed them to come out of the pit. But they had already been severely affected by partial inhalation of the gas. Regardless of the very great danger to his own life, Shri Naidu leaned down into the pit and pulled his fellow workers out to safety. He saved the lives of his fellow-workers but himself fell in the pit full of poisonous gas escaping from the pipeline and became unconscious. All attempts to revive him proved futile.

Shri Appalamani Perumal Naidu displayed exemplary courage and gave his own life in saving the lives of his fellow employees.

No. 30-Pres./68.—The President is pleased to approve the award of the JEEVAN RAKSHA PADAK, to the undermentioned persons for courage and promptitude in saving life at the risk of grave bodily injury to themselves :—

1. SHRI BAIJNATH PRASAD VARMA,
Clerk, Collectorate,
Hoshangabad, Madhya Pradesh.

On the 1st June, 1966, Shri Sajjad, son of Abdullah, resident of Nazirabad of Lucknow, fell from a running train near Gadaria bridge near Hoshangabad and was lying unconscious at the bottom of a nalah 100 feet deep. The train was stopped and about 500 people gathered on the spot but none was bold enough to approach the fallen man and rescue him. Despite the steep descent Shri Baijnath Prasad Varma climbed down the nalah and brought the injured and unconscious man up without anybody's help.

Shri Baijnath Prasad Varma's exemplary courage and promptitude at grave risk to himself saved Shri Sajjad.

2. SHRI LAXMI DASS,
Village Jelam, District Chamoli, Garhwal.

On the 23rd December, 1965, while Shri Laxmi Dass was coming towards the Alaknanda river he saw Shri Mangal Singh, a domestic servant fall into the river from the bridge near village Chhinka with a load of fuel on his back. He immediately pulled off his clothes, jumped into the river and caught hold of Shri Mangal Singh. The water of river Alakanda was ice-cold and the fast flowing river was full of boulders. Shri Laxmi Dass showed conspicuous courage under circumstances of grave risk to himself in saving the drowning man.

3. SHRI CHANDRA SINGH GUSAIN,
Village Padivargaon, Patti Talain,
Tehsil Lansdowne, District Garhwal.

On the 5th August, 1966 the students of Basic School Ghopra Patti were going in a procession along with their teachers. While they were crossing the river Chopragad by a log bridge, a boy, Shishupal Singh, aged 7 years fell into the river. Shri Chandra Singh Gusain, teacher, who was accompanying the students jumped into the river without any hesitation and caught hold of the boy and brought him to safety. The daring act of Shri Chandra Singh Gusain in jumping into the swift flowing river in the hilly region during the rainy season was not free from danger to his own life. Shri Chandra Singh Gusain acted with conspicuous courage in saving the boy.

4. SHRI CHRISTOVAO FERNANDES,
Palolem, Canacona, Goa.

On the 10th December, 1965, a severe cyclonic storm hit the coast of Goa and its intensity was at its greatest along the coast of Canacona, the southern end of Goa. A number of country crafts were damaged and the members of their crew were struggling for life by hanging on to pieces of the wreck.

Shri Christovao Fernandes, a fisherman of Palolem readily came with his small boat to help the police party in the rescue operations. He made several trips from the shore to the broken country craft in distress and helped in the rescue of many persons. Shri Christovao Fernandes displayed exemplary courage in performing this task at great personal risk.

5. SHRI DASU RAM,
Panj Grariya,
Tehsil Hoshiarpur.

6. Shri SOM BAHADUR GURUNG,
Village Chavathok, Post Dargha,
Tehsil Dhading.

7. SUBEDAR MAJOR CHANDER BHAN,
Village Barahi, Bahadurgarh.

On 13th April, 1965, a wireless message was received from the Officer-in-Charge of the snow reconnaissance party of 5 Border Road Task Force which had gone to measure the depth of snow on Rohtang Pass (height 13,400 feet) and Bara Lachha La (16,000 feet above sea level) that one porter had fallen sick and was missing. Subedar Major Chander Bhan and Pioneer Som Bahadur Gurung volunteered to go to Rohtang Pass to rescue the porter.

The party left Manali on the 15th April, 1965 for Rohtang Pass in search of the missing porter. The track was completely covered by six to twenty feet of snow and the party experienced considerable difficulties on account of biting cold, strong winds and blizzards. However, it succeeded in reaching the top of the Pass and after an extensive search they spotted the porter and found him alive. They brought him down slowly carrying him on their backs turn by turn. The descent from Rohtang Top To Baha La was very difficult but the party accomplished this at a time when no one dares to cross the Rohtang Pass without adequate snow clothing & equipment.

Fully aware of the danger to themselves, Subedar Chander Bhan, Mason Dasu Ram and Pioneer Som Bahadur Gurung displayed great courage and determination in saving a life.

8. L/NK CHIMAJI SHITOLE,
Village Ambli, Tehsil Sirur, District Poona.

On a bitterly cold morning on 6th February, 1965, L/NK Chimaji Shitole, in charge of a maintenance gang of Ladakhies was working on a high embankment near village Likche on the Leh-Chushul road (Ladakh). At about 1200 hours, during the lunch break, Kumari Sonam Dolma (age 18 years) was making her way down the steep slopes of the bank to fetch water from thawing river Indus. When Sonam Dolma neared a crevice, the frozen surface crust of the river gave way. She fell into the river and was carried away by the swift current.

L/NK Chimaji Shitole on hearing her cry of distress, rushed down the bank and dived into ice-cold river and saved the girl. Shri Chimaji Shitole showed conspicuous courage and promptitude under circumstances of great risk to himself.

9. SHRI PANDURANG PADYAL,
Post Veldur (Bhoiwadi),
Taluka Guhagar, District Ratnagiri.

On 24th June, 1966, Shri E. I. Maben, Senior Mechanical Supervisor in the Deep Sea Fishing Station, Bombay, went to Sassoon Docks at Bombay to inspect the fishing vessel M. F. V. Jheenga. Shri E. I. Maben was descending from the pilot ladder when the tide started ebbing and the vessel began to surge with the wind. The ladder suddenly loosened from the bollard and Shri Maben, who was not a swimmer, fell into the sea in between the dock-wall and the ship's side.

Shri Pandurang Padyal, Junior Deckhand-*cum*-Greaser, who was working on the dock of the vessel at that time, without regard for his personal safety, leaped into the water in the narrow gap between the dock-wall and ship side and rescued Shri Maben. He showed commendable courage and promptitude in rescuing Shri Maben.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 1st May 1968

No. 3(1)*ECI/67*.—The following members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term beginning on the 1st May, 1968 and ending on the 30th April, 1969.

1. Shri B. Anjanappa.
2. Shri R. S. Arumugam.
3. Shri Panna Lal Barupal.
4. Shri Onkar Lal Berwa.
5. Shri Tridib Chaudhuri.
6. Shri Hardayal Devgun.
7. Shri Ganesh Ghosh.
8. Shri Y. Gadilingana Goud.
9. Shri J. M. Imam.
10. Shri Tulshidas Jadhav.
11. Shri C. Janardhanan.
12. Shri S. Kandappan.
13. Shri Yashwant Singh Kushwah.
14. Shri K. Lakkappa.
15. Shri J. M. Lobo Prabhu.
16. Shri Inder J. Malhotra.
17. Shri Jamuna Prasad Mandal.
18. Shri Bibhuti Mishra.
19. Shri F. H. Mohsin.
20. Shri Kartik Oraon.
21. Shri Chintamani Panigrahi.
22. Shri Gajraj Singh Rao.
23. Shri Erasmo de Sequeira.
24. Shrimati Jayaben Shah.
25. Shri Shantilal Shah.
26. Shri Rajdeo Singh.
27. Shri Arangil Sreedharan.
28. Shri K. Subravelu.
29. Shri Tula Ram.
30. Shri P. Venkatasubbaiah.

B. B. TEWARI, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 11th May 1968

No. F. 15/1/68-*AIS*(*I*).—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in October, 1968, for selection of Released Emergency Commissioned Officers /Shrot Service Commissioned Officers who were Commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, for the purpose of filling vacancies reserved for them in the following services are, with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts, Service, published for general information.

(i) The Indian Administrative Service,

(ii) The Indian Foreign Service,

(iii) The Indian Police Service,

(iv) The Central Information Service, (Grade II), Class I.

(v) The Indian Audit & Accounts Service,

(vi) The Indian Customs & Central Excise Service,

(vii) The Indian Defence Accounts Service,

(viii) The Indian Income-tax Service (Class I),

(ix) The Indian Ordnance Factories Service, Class I, (Assistant Managers—Non-Technical),

(x) The Indian Postal Service,

(xi) The Indian Railway Accounts Service,

(xii) The Military Lands and Cantonments Service, Class I,

(xiii) The Indian Railway Traffic Service,

(xiv) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II,

(xv) The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II,

(xvi) The Customs Appraisers' Service, Class II,

(xvii) The Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II,

(xviii) The Indian Foreign Service, Branch (B) Section Officers' Grade, Class II,

(xix) The Railway Board Secretariat Service, Class II,

(xx) The Military Lands and Cantonments Service, Class II,

(xxi) The Manipur Police Service, Class II,

(xxii) The Tripura Police Service, Class II,

(xxiii) The Manipur Civil Service, Class II,

(xxiv) The Tripura Civil Service, Class II,

(xxv) The Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II, and

(xxvi) The Pondicherry Civil Service, Class II.

A candidate may compete in respect of any one or more of the Services mentioned above. He may specify in his application as many of these Services as he may wish to compete for. Candidates are warned that they will not be considered for appointment to any Service not specified by them.

N.B. I : Candidates are required to specify clearly in their applications the order of preferences for the services for which they wish to compete. They are advised to indicate as many Services as they wish to, so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

N.B. II : No request for addition to or alteration in the order of preferences for the Services originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 31st December, 1968.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules, all Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, and who have been released during 1968 prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1969 will be eligible to appear at this examination.

Provided that Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, who were released prior to 1968 shall be eligible to appear at the examination to the extent and in accordance with the provisions of Rule 8.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, "release" means

(i) actual release according to a phased programme in the case of Emergency Commissioned Officers,

(ii) actual release at the end of the tenure of their service in the case of Short Service Commissioned Officers,

(iii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service,

from the Armed Forces after a spell of service, and *not* during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The candidature of a person is liable to be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

NOTE 3.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 4.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

5. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

(2) For other Services, a candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon, and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (a) A candidate must not have attained the age of 24 years on the 1st August of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training).

Provided that a candidate applying for admission to this examination under Rule 9(b) below must not have attained on the aforesaid date the age of

(i) 24 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(ii) 23 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training);

(iii) 22 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the second year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training);

(iv) 21 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the third year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training);

(v) 20 years, if he were, but for discontinuance of his studies or joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the fourth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training); and

(vi) 19 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the fifth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post Commission training).

(b) The age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a miximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Deman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a miximum of three years if a cindidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes;

(xii) up to a maximum of eight years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan. This concession is limited to the first admissible chance at the examination;

(xiv) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan, This concession is limited to the first admissible chance at the examination;

(xv) up to a maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands. This concession is limited to the first admissible chance at the examination in the case of a candidate who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1965; and

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon. This concession is limited to the first admissible chance at the examination in the case of a candidate who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training in 1965.

NOTE 1.—The provisions contained in clauses (xiii) and (xiv) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 6(a).

NOTE 2.—The provisions contained in clauses (xv) and (xvi) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 6(a) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1963.

The provisions contained in clauses (xv) and (xvi) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. No. (ii) in proviso to Rule 6(a) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1964.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination held in 1966.

Provided that a candidate who had not attained the age specified in para 6 above on the 1st August of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces, or got the Commission (where there was only post-Commission training), but had attained that age on the 1st August of the year succeeding the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) shall be permitted to compete only once at the examination.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in *any* one or more subjects.

8. Subject to the provisions of these Rules,

(1) a candidate who is eligible to take only one chance must take the examination held in the year preceding the year of his release; and

(2) a candidate who is eligible to take two chances must take the examination held in the year preceding the year of his release and the year of his release.

Provided that

(a) a candidate who has been invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service may, subject to the exceptions mentioned in the Notes below this rule, take the examination to be held in 1968;

(i) as his only chance, if invalided during 1967 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1967 examination, or during 1968 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1968 examination, and if eligible to take one chance;

(ii) as his first chance, if invalided during 1967 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1967 examination, or during 1968 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1968 examination, and if eligible to take two chances;

(iii) as his second chance, if invalided during 1965 or earlier, and if eligible to take two chances;

(iv) as his second chance, if invalided during 1967, after the closing date prescribed for receipt for applications for the 1967 examination, and if he was due for release during 1968 accordingly to a phased programme (in the case of an Emergency Commissioned Officer) or at the end of the tenure of his service (in the case of a Short Service Commissioned officer);

(v) as his second chance, if invalided during 1966, after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1966 examination, or during 1967 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1967 examination, an if eligible to take two chances,

(b) a candidate released during 1967 who did not possess, at the time of joining pre-Commission training or at the time of getting the Commission (where there was only post-Commission training), any of the qualification prescribed *vide* Rule 9(a) but who has acquired such a qualification by passing an examination which was completed before 5th October 1966, may appear at the examination to be held in 1968 as his second chance, if eligible to take two chances.

(c) a candidate who had been admitted by the Commission to the examination held in 1966, but who could not appear thereat owing to exigencies of service in the Armed Forces, may take the examination to be held in 1968 as his second chance, if eligible to take two chances.

(d) a candidate who had been admitted by the Commission to the examination held in 1967, but who could not appear thereat owing to exigencies of service in the Armed Forces, may take the examination to be held in 1968.

(i) as his only chance, if eligible to take only one chance;

(ii) as his first chance, if eligible to take two chances.

(e) A candidate due to be released in 1968 or a candidate released during 1968 or earlier appearing at the examination under Rule 9(b), may take the examination to be held in 1968.

(i) as his only chance, if eligible to take only one chance;

(ii) as his first chance, if eligible to take two chances;

NOTE 1.—The provisions contained in proviso (a) to this Rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1967 and 1968 who were due for release in 1967 and 1968 respectively according to a phased programme (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the tenure of their service (in the case of Short Service Commissioned Officers).

NOTE 2.—The provisions contained in clauses (i) and (ii) of proviso (a) to this Rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1967 who were due for release in 1968 according to a phased programme (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the tenure of their service (in the case of Short Service Commissioned Officers).

NOTE 3.—The provision contained in clause (v) of proviso (a) to this rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1966 who were due for release in 1967 according to a phased programme (in the case of Emergency Commissioned Officers or at the end of the tenure of their service (in the case of Short Service Commissioned Officers).

9. (a) A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A,

Provided that—

(i) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate if he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

(ii) A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(b) A candidate who, when he appeared before a Service Selection Board as a candidate for the grant of Emergency Commission/Short Service Commission in the Armed Forces was studying in a university/an institution affiliated to a university for the award of any of the qualifications prescribed in sub-Rule (a) of this Rule, but who having discontinued his studies because of joining the Armed Forces, has not acquired such qualification, will also be eligible to appear at the examination.

NOTE.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination *vide* Sub-Rule (a) of this Rule, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

10. A candidate who is appointed to the I.A.S. or I.F.S. on the results of an earlier examination will *not* be eligible to compete at this examination.

A candidate who is appointed to a Service mentioned in column (ii) below on the results of an earlier examination will be eligible to compete at this examination only for Services mentioned against that Service in column (iii) below.

Sl. No.	Service to which appointed	Services for which eligible to compete
(i)	(ii)	(iii)
1.	Indian Police Service . .	I.A.S., I.F.S. and other Central Services, Class I.
2.	Central Services, Class I other than I.F.S. .	I.A.S., I.F.S. and I.P.S.
3.	Central Services, Class II Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Manipur Civil Tripura Civil Service, Goa, Daman & Diu Civil Service, Pondicherry Civil Service, Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Police Service.	I.A.S., I.P.S., I.F.S. and other Central Services Class I.

11. A candidate serving in the armed forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commission. *A candidate who is himself the officer Commanding his Unit must submit his application through his next superior officer.*

All other candidates in Government Service must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period;

(i) by the Commission from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates: and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable for disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service.

18. (a) If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf from time to time.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year(s).

19. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

20. Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application, but the Government of India reserve the right to assign him to any Service for which he is a candidate.

Provided that a candidate who is appointed to the I.A.S. or I.F.S. on the results of an earlier examination will not be considered for allotment to any other Service on the results of this examination.

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in column (ii) below on the results of an earlier examination will be considered only for allotment to Services mentioned against that Service in column (iii) below, on the results of this examination.

Sl. No.	Service to which appointed	Service to which allotment will be considered
(i)	(ii)	(iii)
1.	Indian Police Service	I.A.S., I.F.S. and other Central Services, Class I.
2.	Central Services, Class I other than I.F.S.	I. A. S., I.F.S. and I.P.S.
3.	Central Services, Class II Delhi-Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service. Manipur Civil Service, Tripura Civil Service, Goa, Daman and Diu Civil Service, Pondicherry Civil Service, Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Police Service.	I.A.S., I.P.S., I.F.S. and other Central Services Class I.

21. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

22. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Commission may be required to undergo medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of each Service.

23. No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

24. Under no circumstances, the officers appointed to the Indian Foreign Service will be allowed to marry persons other than of Indian nationality.

25. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into Service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into Service.

26. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

A. N. BATABYAL, Under Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 9)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The Mandalay University.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Shefield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Dublin.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The Dacca University.

The University of Sind.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination

(*vide* Rule 9).

1. Alankar of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Banaras.
3. French Examination "Propedeutique."
4. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
5. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.
6. Diploma in Commerce of All India Council for Tech. Education.
7. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Tech. Education.

8. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student."

9. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

APPENDIX II

Plan of the Examination

1. The competitive examination comprises :

(a) Written examination in three subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 450 marks.

(b) *Viva voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 250 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(*i*) Essay . . .	3 hours	150
(*ii*) General English . .	3 hours	150
(*iii*) General Knowledge .	3 hours	150

3. The syllabus for the examination will be as in the attached Schedule; and the question papers for the written examination will be the same as for the corresponding subjects in the scheme of the regular I.A.S. etc. Examination which will be held concurrently.

4. All question papers must be answered in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

(*vide* para 3 of Appendix II)

PART 'A'

1. *Essay.*—Candidates will be required to write an essay in English. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subjects of the assay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

2. *General English.*—Candidates will be required to answer questions designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually be set for summary or precis. Credit will be given for concise and effective expression.

3. *General Knowledge.*—Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India, and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

PART 'B'

Viva Voce : The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces. The candidate will be asked questions on matters of general interest as also on his experience in the Armed Forces. The object of the *Viva Voce* is an assessment of the suitability of the candidate for the Services for which he has applied by a Board of competent and unbiased observers.

The technique of the *viva voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural though directed and purposive conversation, which is intended to reveal the mental qualities of the candidate *e.g.*, mental alertness and initiative, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgement, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

APPENDIX III

The Appendix briefly describes the conditions of service as applicable to candidates recruited through the regular I.A.S. etc. Examination. The seniority and pay of the candidates who may be appointed on the results of this examination would be regulated in accordance with the special orders issued by the Government in this behalf.

1. *Indian Administrative Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clause (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Administrative Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale—Rs. 400-400-500-40-700-EB-30-1,000 (18 years).

Senior Scale.

(i) Time Scale.—Rs. 900 (6th year or under)-50-1,000-60-1,600-50-1,800 (22 years).

(ii) Selection Grade.—Rs. 1,800-100-2,000.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2,150 and Rs. 3,500, to which Indian Administrative Service Officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will start on the Junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) *Leave.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955.

(i) *Medical Attendance.*—Officers of the Indian Administrative Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958.

2. *Indian Foreign Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period which will not ordinarily exceed 3 years. Successful candidates will be required to pursue a course of training in India for approximately twenty-one months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Mission whose languages are

allotted to them as compulsory languages. During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examinations before they become eligible for confirmation in Service.

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed examinations, the Probationer is confirmed in his appointment. If, however, his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service. Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(d) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000.

Senior Scale.—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1800.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 1,800 and Rs. 3,500 to which I.F.S. Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation :—

First Year—Rs. 400 per mensem.
Second Year—Rs. 400 per mensem.
Third Year—Rs. 500 per mensem.

NOTE 1.—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

NOTE 2.—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed tests, if any, and showing progress to the satisfaction of Government. Increments can also be earned in advance by passing the departmental examinations.

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India.

(g) During Service abroad I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment. In addition, the following concessions are also admissible to I.F.S. officer during service abroad :—

(i) Free furnished accommodation according to status.

(ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passage to India up to a maximum of two, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted to various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules. Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.

(vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad.

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For Service abroad I.F.S. Officers are entitled under the I.F.S. (P.L.C.A) Rules, 1961, to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(i) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Government servants of equal and similar status.

3. *Indian Police Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine.

(b), (c), (d) } As in clauses (b), (c) and (d) for the Indian Administrative Service.

(e) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (18 years).

Senior Scale.—Rs. 740 (6th year or under)—40—1,100—50/2—1,250—50—1,300 (22 years).

Selection Grade.—Rs. 1,400.

Deputy Inspector General of Police.—Rs. 1,600—100—1,800.

Commissioners of Police, Calcutta and Bombay.—Rs. 1,800—100—2,000.

Inspector General of Police.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

Director, Intelligence Bureau.—Rs. 3,000.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

(g), (h), (i), (j) } As in clauses (g), (h), (i) and (j) for the Indian Administrative Service.

4. *The Central Information Service, Grade II (Class I).*—

(a) The Central Information Service consists of posts all over India in various media organisations of the Ministry of Information and Broadcasting requiring journalistic and similar professional qualifications with previous experience of work on a newspaper or news agency or publicity organisations. The service was constituted with effect from 1st March, 1960.

(b) The Service has at present the following grades :—

Grade	Scale of Pay
Class I	
Selection Grade — .	Rs. 2,250/- (fixed).
Senior Administrative Grade	
(Senior Scale) . . .	Rs. 1,800—100—2,000.
(Junior Scale) . . .	Rs. 1,600—100—1,800.
Junior Administrative Grade	
(Senior Scale) . . .	Rs. 1,300—60—1,600
(Junior Scale) . . .	Rs. 1,100—50—1,400.
Grade I . . .	Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250.
Grade II . . .	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

Class II (Gazetted) Grade III	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.
Class II (Non-Gazetted) Grade IV	Rs. 270—10—290—15—410—EB—15—485.

(c) Direct recruitment is made to the percentage of vacancies, as specified below, in the following grades of the service :—

Junior Administrative Grade (Junior Scale)	12½%
Grade I	25 %
Grade II	50 %
Grade IV	100%

The remaining vacancies in the above grades and also vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade, and Grade III are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades. Vacancies in the senior scale of the I.A.G. are filled by promotion on the basis of seniority-*cum*-fitness from amongst officers holding duty posts in the junior scale of that grade.

(d) (i) Direct recruits to Grade II will be on probation for two years. During probation they will be given training in the Indian Institute of Mass Communication, on a newspaper or news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting and at the National Academy of Administration. The total period of training will be about 15 months. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the training, they will have to pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration and first and second departmental tests at the Indian Institute of Mass Communication, which will include a language test. Failure to pass the departmental test during the training period involves liability to discharge from service or reversion to substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(ii) On the conclusion of period of probation Government may confirm the direct recruits in their appointments in accordance with the rules in force. If the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may be discharged from service or his period of probation extended for such period as the Government may deem fit. If his work or conduct is such as to show that he is unlikely to become an efficient Grade II officer of the Service, he may be discharged forthwith.

(iii) Probationers shall start on the minimum of the time scale of Grade II. On passing the first departmental test, the pay of Probationers will be raised to Rs. 450/- in the scale of pay of Grade II of the Central Information Service. On passing the second departmental test, the pay will be fixed at the stage of Rs. 480/-. The pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless they have completed 4 years of service, subject to other conditions as may be found necessary. In case any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course-test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations the second increment accrues, whichever is earlier.

(e) Government may require any member of the Service to hold for a specified period a post in the publicity organisation of a Union Territory.

(f) Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting.

(g) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Central Information Service will be treated like other Class I and Class II officers.

NOTE.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Central Information Service which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

5. *Indian Audit and Accounts Service.*

6. *Indian Customs and Central Excise Service.*

7. *Indian Defence Accounts Service.*

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the department examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms, the constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Offices under the Central or State Government or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service require it in the cadres on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments may be borne.

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in or out of India.

(f) Scales of pay :—

Indian Audit and Accounts Service :

Time Scale of I.A. & A.S.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Junior Administrative Grade.—Rs. 1,300—60—1,600.

Accountants General.—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

NOTE 1.—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A.S. and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time

NOTE 3.—In the case of probationers who do not pass the End-of-the-Course Test at the National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450 shall be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or up to the date on which, under the Department regulations, the second increment accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test again.

Indian Customs and Central Excise Service

Time Scale :—

Superintendent of Central Excise, Class I, Assistant Collector of Central Excise, Assistant Collector of Customs.	Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.
Deputy Collector of Customs Deputy Collector of Central Excise Additional Collector Appellate Collector.	Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600.
Collector of Customs Collector of Central Excise	Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the

officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 2 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of the Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his/her period of probation Government may confirm the officer in his/her appointment or if his/her work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him/her from the Service or may extend his/her period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) The Indian Customs and Central Excise Service, Class I, carries with it a definite liability for service in any part of India.

NOTE 1.—A probationary officer will start on the minimum of the time scale of pay of Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250, and will count his/her service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—An officer on probation will not be allowed pay in the time scale above the stage of Rs. 400/- unless he/she passes the prescribed departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—During the period of probation, an officer will be posted to Central Excise Department/Customs Department/Narcotics Department for departmental training and to the National Academy of Administration, Mussoorie, for a Foundational Course training. At the end of the training at Mussoorie he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. He/she will have to pass Part I and Part II of the Departmental Examination. On passing the 'end-of-the-course' test and one of the parts of the Departmental Examination he/she will be granted a first advance increment raising his/her pay to Rs. 450/-. On passing both the parts of the Departmental Examination, he/she will be granted the second advance increment raising his/her pay to Rs. 480/-. His/her pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless he/she has completed 4 years of service, subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, a probationer does not pass the 'end-of-the-course' test at the Academy, his/her first advance increments will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second advance increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 4.—It should be clearly understood by the probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs & Central Excise Service, Class I, which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such change.

Indian Defence Accounts Service :

Time Scale :—

Rs. 400—400—450—480—510—EB—700—40—1,100—1,100—1,150—1,150—1,200—1,200—1,250.

Junior Administrative Grade.

Rs. 1,300—60—1,600.

Rs. 1,600—100—1,800 (Selection Grade).

Senior Administrative Grade.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Controller General of Defence Accounts—Rs. 2,750 (fixed).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the time scale and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules in force from time to time; 'provided further that in the case of an officer who does not pass the end-of-the course test at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment shall be postponed by one year from the date on which he would have drawn it on passing Part I of the Departmental Examination or upto the date on which the second increment accrues to him on passing Part II of the aforesaid examination, whichever is earlier.

8. *Indian Income-tax Service Class I.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service it delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

Income-tax Officer, Class I.—

Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Assistant Commissioner of Income-tax.—

Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600.

Commissioners of Income-tax.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(f) During the period of probation, an officer will undergo training at the National Academy of Administration, Mussoorie and the Income-tax Training College, Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. In addition, I & II departmental examinations will also have to be passed during the period of probation. On passing the end-of-the-course test and the I departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs. 450. On passing the 2nd departmental examination, the pay will be raised to Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 4 years of service subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, he/she does not pass the end-of-the-course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—The officer on probation will not be allowed to pay above the stage of Rs. 400 unless he passes the departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 2.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the Constitution of the Income Tax Service Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

9. *The Indian Ordnance Factories Service Class I* (Non-Technical Cadre).—Appointments will be made to the posts of Assistant Manager (Non-Technical). The candidate will be on probation for a period of two years during which period he will undergo such practical training and pass such departmental and language tests as Government may prescribe.

On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of the Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or extend his period of probation for such period as Government may think fit.

The selected candidate will be required to execute a bond at the time of his appointment that he will continue to serve in the Indian Ordnance Factories Service for a minimum period of three years after successful completion of his period of probation.

Assistant Managers, for whom the revised scale of pay is Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950, are eligible for promotion, on the basis of merit, to higher grades in the I.O.F.S., as shown below :—

	Scale of Pay
1. Deputy Manager (Non-Technical)/ Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories.	Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250.
2. Manager (Non-Technical)/Senior Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories.	Rs. 1,100—50—1,400.
3. Assistant Director General, Ordnance Factories (Grade II).	Rs. 1,300—60—1,600.
4. Assistant Director General, Ordnance Factories (Grade I).	Rs. 1,600—100—1,800.
5. Deputy Director General, Ordnance Factories.	Rs. 1,800—100—2,000.

10. *Indian Postal Service.*—(a) Selected candidates will be under training in this department for a period which will not ordinarily exceed two years. During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay.—

Time Scale :—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250 (Officers under training will draw pay in this time scale).

Directors of Postal Services : Rs. 1,300—60—1,600.

Postmasters-General : Rs. 1,800-100-2,000-125-2,250.

Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2,500—125/2—2,750.

Senior Member, Posts and Telegraphs Board : Rs. 3,000.

(f) The probationers in the Indian Postal Service, would draw pay in the prescribed pay scale of Rs. 400—400—450—30—480—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the National Academy of Administration, Mussoorie, in a foundational course of training. At the end of training at Mussoorie they will have to pass the 'end-of-the-course test'. They will also have to pass the Departmental examination as prescribed under the Departmental Rules. On passing the 'end-of-the-course test' and the Departmental examination, their pay will be raised to Rs. 450. On confirmation, if they are confirmed on completion of the probationary period of two years, their pay will be fixed at the stage of Rs. 480. Further regulation of their pay will, however, be determined by their position in the time scale.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which, under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service, which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

(h) Selected candidate will be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad as required by Government.

11. *Indian Railway Accounts Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations.

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within three years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo a course of training at the Railway Staff College, Baroda, and to pass the test prescribed by the College authorities. The test in the College is compulsory and a second chance, in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officer is such that such a relaxation may be made. They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the test at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already passed or should past during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent Examinations recognized by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund; as amended from time to time.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the leave rules for the time being in force as applicable to officers of Indian Railways.

The leave rules are, however, liable to revision in the light for the Pay Commission's recommendations. They will not be permitted to retain the present leave rules, if so decided by the Government.

(f) If for any reason not beyond his control, a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(g) If, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows, that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(h) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(i) Scales of pay :—

(a) Junior Scale Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700 (6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

(b) Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examinations within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

12. *Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II).*

(a) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be required to undergo such course of training in Cantonment and Land Administration as may be prescribed by Government for a period of not less than six months.

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination.

(c) (i) If in the opinion of Government the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub-para (b) above, Government may, in its discretion, either discharge him from service, or if the circumstances of the case so warrant, extend the period of probation for such period not exceeding one year as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds out of which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed, or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(d) If no action is taken by Government under Sub-para (c) above, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month, terminable on either side on the expiration of one calendar month's notice in writing, provided that the Officer shall have no claim to confirmation.

(e) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his probation, unless he has passed the departmental examination. An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing the departmental examination.

(f) In case, any of the Probationers does not pass the end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) The scales of pay are as under :—

Administrative Posts

(*i*) Director, Military Lands and Cantonments.	Rs.	1,800—100—2,000.
(*ii*) Joint Director, Military Lands and Cantonments.	Rs.	1,600—100—1,800.
(*iii*) Deputy Director, Military Lands and Cantonments.	Rs.	1,300—60—1,600.
(*iv*) Assistant Director, Military Lands and Cantonments.	Rs.	1,100—50—1,400.

Class II

(*v*) Deputy Assistant Directors, Military Lands and Cantonments, Military Estates Officers, and Executive Officers.	Rs.	400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Class II

(*vi*) Executive Officers	Rs.	350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900.
(*vii*) Assistant Military Estates Officers.	Rs.	350—25—500—30—590—EB —30—800—EB— 830—35—900.

(h) (i) Class I Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers, and as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II Cantonments to which sub-clause (i) of clause (e) of sub-section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable (ii) Class II Executive Officers will normally be appointed to Cantonments other than those mentioned in (i) above.

(i) (i) All promotions will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government. On promotion from Class II to Class I, pay will be regulated under the Fundamental Rules.

(ii) No officer will normally be promoted to Class I unless he has completed three years of service in Class II.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply.

(k) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government.

(l) The Military Lands & Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

13. *Indian Railway Traffic Service*

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Indian Railway Traffic Service for a period of three years during which they will undergo the training as indicated in para. (m) and put in a minimum period of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case, due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended.

(b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Indian Railway Traffic Service wishes to withdraw from training or probation, he will be

liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side. Probationary Officers will be required to undergo practical training for the first two years. Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable will be placed in charge of a working post, provided they have passed the prescribed departmental and other examinations. It must be noted that these examinations should as a rule, be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed. Failure to pass any of the examinations may result in the termination of service and will, in any case, involve stoppage of increment.

At the end of one year in a working post, the Probationary Officers will be required to pass a final examination, both practical and theoretical, and will as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary period is extended for any reason, the drawal of the first and subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

(d) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils the requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(e) Officers (including probationers) of the Indian Railway Traffic Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund;

as amended from time to time.

(f) Pay will commence from the date of joining service. Service for increments will also count from that date.

(g) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the rules for the time being in force applicable to officers of Indian Railways.

The Leave Rules are liable to revision in the light of the accepted recommendations of the Pay Commission. They will not be permitted to retain the present Leave Rules, if so decided by the Government.

(h) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway. But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India.

(i) The relative seniority of officers appointed will ordinarily be determined by their order of merit in the competitive examination; if the period of training and consequently the period of probation has to be extended in any particular case due to the training having not been completed satisfactorily, the officer will be liable to lose in seniority. The Government of India, however, reserve the right of fixing seniority at their discretion in individual cases. They also reserve the right of assigning to officers appointed otherwise than by a competitive examination positions in the seniority list at their discretion.

(j) Scales of pay :—

Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700—(6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250. (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Intermediate Administrative Grade : Rs. 1600—100—1800. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250. (Authorised Scale).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale.

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently confirmed, their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale, with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 2.—In the case of persons already in Government Service, their pay on appointment as Probationer will be fixed in accordance with the rules and regulations in force from time to time.

(k) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department.

(l) Promotions to the administrative grades are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion.

(m) Courses of training for probationers in the Indian Railway Traffic Service.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion, the period of training in the case of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The test in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer is such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case, the officers will not be confirmed till they pass the tests, their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below have been drawn up chiefly for the purpose of guidance; they may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed.

NOTE 4.—During the period of training, the probationer has to work as a Guard, Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Train Examiner, Assistant Loco Foreman, Assistant Controller, etc. as detailed below. After completion of training when the probationer is posted against a working post, his duties involve travelling with no facilities for camping at way-side stations. He has to visit sites of accidents at od dhours and inspect Control Offices and stations. The work is arduous and will involve night duties.

(1) Length of course—two years.

Item	Period
1. National Academy of Administration, Mussoorie	4 month(s)
2. Area School, to learn Guard's duties	1 ,,
3. Working as Guard	¾ ,,
4. Training in Baroda Staff College (Ist Phase)	3 ,,
5. Booking Office, Parcel Office Goods Shed and Transhipment shed	1 ,,
6. Traffic Accounts including a period with the Travelling Inspector of Accounts and Personal Preparation of balance sheets at stations	1½ ,,
7. Area School to qualify as Asstt. Station Master	1 ,,
8. Working as Yard Master, Asstt. Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner	3 ,,
9. Working as Asstt. Loco Foreman	½ ,,
10. Working as Assistant Controller	2 ,,
11. Training at Baroda Staff College (IInd Phase)	1½ ,,
12. (*a*) Training in District or Divisional Office	1 ,,
(*b*) Training as Assistant Power Controller	½ ,,
13. Training in Headquarters Office (Operating)	1¾ ,,
14. Training in Headquarters Office (Commercial)	1½ ,,
Periods set apart for journey time for taking up various items for training and inescapable leave	23½ ,,
	½ ,,
TOTAL	24 months

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years training, a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE.—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller, he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

14. *Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories. He may also be required to serve in any police/intelligence organisation of the Government of India.

(e) Scales of pay :—

Grade I—Selection Grade.—Rs. 900 fixed.

Grade II—Time scale.—Rs. 300—25—475—EB—25—650—EB—30—800.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are at present entitled to get dearness allowance at the rates admissible to officers of comparable status employed under the Government of Punjab.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places, either for training or on duty, where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

15. *The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II*—

(a) The Central Secretariat Service has, at present, the following grades :—

Grade	Scale of pay
Selection Grade—Deputy Secretary or equipment	Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800.
Grade I—Under Secretary	Rs. 900—50—1250.
Section Officer Grade	Rs.—350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
Assistants Grade	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Selection Grade and Grade I are controlled by the Ministry of Home Affairs on an all-Secretariat basis. Section Officers' Assistants' Grades, however, are controlled by the Ministries.

Direct recruitment is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undrego such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from

the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of 'Sections' while officers of Grade I will normally be incharge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Class I and Class II Officers.

16. *Customs Appraisers' Service, Class II.*

(a) Recruitment is made in the grade of appraiser in the scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900. Appointments are made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. During the period of probation, the candidate will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Board of Excise & Customs may prescribe. They will not be allowed to draw pay above the stage of Rs. 375/- unless they pass the prescribed departmental Examination in full.

(b) If on the expiration of the period of probation or any extension thereof the appointing authority is of the opinion that the selected candidate is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation or extension thereof he is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation he may discharge him from the service or pass such orders as he thinks fit.

(c) On the successful completion of the period of probation and after passing of the departmental examination the officers will be considered for confirmation in the grade.

(d) The candidates will be eligible for promotion to the next higher grade of Principal Appraiser (Rs. 600—35—950) after they have completed five years service as Appraisers. Thereafter they will be eligible for promotion to the next higher grade of Assistant Collector (Rs. 400—1250).

(e) Regarding leave, pension the officers will be treated like other Class II officers in Central Government department. As regards other terms and conditions of their service, they will be governed by the provisions in the Recruitment Rules for the Customs Appraisers' Service, Class II. These rules particularly provide that the members of the service will be liable to posting in any equivalent or higher posts under the Central Board of Excise and Customs anywhere in India.

17. *Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, Himachal Pradesh or Andaman and Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories.

(e) Scales of pay—

Grade I—Selection Grade—Rs. 900—50—1,200.

Grade II—Rs. 300—30—510—EB—30—600—40—720—EB—40—800—50—850.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are at present entitled to get dearness allowance at the rates admissible to officers of comparable status employed under the Government of Punjab.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at place either for training or on duty where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Services Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations, and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

18. *Indian Foreign Service, Branch 'B', Section Officers' Grade, Class II—*

(a) 25% of the maintenance vacancies in the Integrated Grade II & III of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Class II) are filled by direct recruitment through the U.P.S.C. The scale of pay attached to this grade is Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for two years during which period they will be required to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the prescribed tests may result in the discharge of probationers from service.

(c) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm an officer in his appointment subject to availability of permanent posts or if his work and conduct have, in the opinion of Government, been unsatisfactory, may either discharge him from the service, or may extend the period of his probation for such further period as Government may deem fit. The total period of probation will not exceed 3 years.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government prescribed in the above clauses.

(e) Officers appointed to this service will normally be Heads of Sections. While employed at the Headquarters of the Ministry of External Affairs/Ministry of Commerce and Industry they will be designated as Section Officers and sometimes Administrative Officers. While Serving in Indian Missions abroad, their designation will be Registrars, although for local purposes they may be called Attaches with diplomatic status.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I of the General Cadre of the IFS(B) in the scale of Rs. 900—50—1250. In accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the General Cadre of the IFS(B) will in turn be eligible for appointment to posts in the senior scale of IFS(A) in the scale of pay of Rs. 900 (6th year or under)—50—1000—60—1600—50—1800. In accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) The Indian Foreign Service, Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad and the officers appointed to this service are not normally liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce and Industry. They are, however liable to serve anywhere inside or outside India.

(i) During Service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS(PLCA) Rules, 1961, as made applicable to I.F.S.(B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passages to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout an officer's service for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 18 studying in India to visit their parents during the long vacation subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.

(vii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time, will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entiled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(k) While in India, officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government servants of equal and similar status.

(l) Officers of the IFS(B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

(m) Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules, 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

19. *The Railway Board's Secretariat Service, Class II*—

(a) The Railway Board Secretariat Service consists of the following :—

Service	Scale of Pay
(*i*) Assistant Director/Under Secretary.	Rs. 900—50—1,250.
(*ii*) Section Officer . .	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
(*iii*) Assistant . . .	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants.

(b) Officers recruited direct as Section Officers will be on probation for two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the Probationer from Service.

(c) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of Sections while Assistant Director/Under Secretary will normally be incharge of branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion as Assistant Director/Under Secretary in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Assistant Director/Under Secretary will be eligibe for appointment to higher posts in the Railway Board's Secretariat.

(h) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(i) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and Privilege Ticket Orders on the same scale as admissible to Railway Officers.

(j) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules :—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the Rules of that funds as amended from time to time.

(k) As regards leave and other conditions of service, officers of the Railway Board Secretariat Service will be treated similar to other Class I and Class II Officers on Railways but in the matter of Medical facilities they will be governed by the Rules applicable to other Central Goverment employee headquartered at New Delhi.

20. *Manipur Police Service, Class II*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Manipur may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Manipur.

(e) Scale of pay—Rs. 300—25—450—EB—30—600—EB—30—900.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of the Service.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Manipur Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

21. *Tripura Police Service, Class II*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Tripura may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Tripura.

(e) Scale of pay—Rs. 300—30—510—EB—30—750—EB—30—900.

A person recruited on the results of competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of the Service.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are goverened by Tripura Police Service Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

22. *Manipur Civil Service, Class II*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Manipur may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Teritory of Manipur.

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1000—40—1200.

Grade II—Rs. 350—30—500—EB—30—650—EB—35—1000.

A person recruited on the results of competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Manipur Civil Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

23. *Tripura Civil Service, Class II*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Tripura may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Tripura.

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1175/- fixed.

Grade II (Time-scale)—Rs. 325—30—475—35—545—EB—35—825—EB—35—1000.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Tripura Civil Service Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

24. *Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Goa, Daman and Diu may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

Grade II—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Gao, Daman and Diu Civil Service Rules, 1967 and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

25. *Pondicherry Civil Service, Class II*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Pondicherry may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry.

(e) Scale of pay—Rs. 375—25—800.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of the Service.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry Civil Service Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services personnel the standerds will be relaxed consistent with the requirements of the service(s).]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the board.

(b) However, for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :—

	Height	Chest girl (fully expanded)	Expansion
(1) Indian Railway	152 cm	84 cm	5 cm (for men)
Traffic Service	150 cm	79 cm	5 cm (for women)
(2) Indian Police Service			
Delhi and Himachal	165 cm	84 cm	5 cm (For men)
Pradesh And Andaman and Nicobar Islands Police Service, Class II, Manipur Police Service, Class II and Tripura Police Service, Class II.	150 cm	79 cm	5 cm (For women)

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorknas, Garnwalis, Assamese, Tribals, etc., whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of a half of a kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The results of each test will be recorded :—

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbill conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sort as to render or likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall, however be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

	Distant vision		Near vision	
	Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
1. Indian Railway Traffic Service	6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	Sn.0·6	Sn 0·8
2. I.A.S., I.F.S. Central information Service (Grade II). Class I. Indian Audit & Accounts Service, Indian Customs & Central Excise Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Income tax Service, (Class I), Indian Ordnance Factories Service, Class I				

(Assistant Managers—Non-Technical), Indian Postal Service, Indian Railway Accounts Service, Military Lands and Cantonments Service Class I, Central Secretariat Service, Section Officer's Grade, Class II, Customs Appraisers Service, Class II, Delhi and Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service, Class II, Railway Board Secrarial Service, Class II Military Lands and Cantonments Service, Class II, Indian Foreign Service Branch (B) Section Officer's Grade, Class II Pondicherry Civil Service Class II, Goa, Daman and Diu Civil Service Class II, Manipur Civil Service Class II, and Tripura Civil Service, Class II.	6/9 6/6	6/9 or 6/12	Sn.0·6	Sn.0·8
3. Indian Police Service Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service (Class II), Manipur Police Service, Class II and Tripura Police Service, ClassII.	6/9 6/6	6/9 or 6/12	Sn.0·6	Sn.0·8

NOTE :—

(1) In respect of Services mentioned at 1 and 3 above, total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —4,00D in each eye. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D in each eye.

(2) In respect of Services mentioned at 2 above, total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —8.00D in each eye. Total amount of Hypermetropia shall not exceed +6.00D in each eye

(3) *Fundus Examination.*—Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

(4) *Colour Vision.*—(i) The testing of colour vision shall be essential in respect of services mentioned at 1 and 3 above.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidates .	4·9 metres	4·9 metres
2. Size of aperture .	1·3 mm	13 mm.
3. Time of exposure .	5 sec.	5 sec.

For the services concerned with the safety of the Public, *e.g.*, pilots, drivers, guards etc., the higher grade of colour vision is essential but for other the lower grade of colour vision should be considered sufficient.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

(5) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(6) *Night Blindness.*—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaption is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough test, *e.g.* recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(7) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma, unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—For services mentioned at 1 and 3 above where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of the prescribed standard should be considered as a disqualification. For the other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. He and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard

clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as a pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services

(b) that his/ her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth, are in good order and that he/ she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound.

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect.

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

10. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing, appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board his communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise of field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the* maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration.*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declara-

tion appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) .....
2. State your age and birth place .....
3. (*a*) Have you ever had small-pox Intermittent or any other fever enlargement or suppuration of lands, spitting of blood, asthama, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ?.....

Or

(*b*) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ? .....

4. When were you last vaccinated ?.....
5. Have you or any of your near relations been afflicted with consumption, scrofula, gout, asthama fits, epilepsy, or insanity ? .....
6. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ? .....
7. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers, living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at, and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mothers' age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at, and cause of death

8. Have you been examined by a Medical Board before ? .....
9. If answer to the above is, Yes, please state what Service/Services you were examined for ? .....
10. Who was the examining authority ? .....
11. When and where was the Medical Board held ? .....
12. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known .....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature .....

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination

1. General development : Good..... Fair ..... Poor .....

Nutrition : Thin....., Average....., Obese.....

Height (Without shoes) .....Weight .....

Best Weight .....When ?..... any recent change in weight ?..... Temperature .....

Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin : Any obvious disease .....
3. Eyes :

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of vision .....

(5) Visual acuity .....

Acuity of vision		Naked eye	With glasses Sph.	Cyl.	Axis
Distant vision	. .	R.E. L.E.			
Near vision	. .	R.E. L.E.			
Hypermetropia manifest	. .	R.E. L.E.			

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear..... Left Ear.....
5. Glands .....Thyroid .....
6. Condition of teeth .....
7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?..... If yes, explain fully .....
8. Circulatory System :

(*a*) Heart : Any organic lesions ?.....Rate Standing.....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure : Systolic..... Diastolic.....

9. Abdomea : Girth.....Tenderness..... Hernia.....

(*a*) Palpable : Liver..... Spleen.....
Kidneys .....Tumours .....

(*b*) Hemorrhoids .....Fistula.....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities .....

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.
Urine Analysis :

(*a*) Physical appearance .....

(*b*) Sp. Gr. .....

(*c*) Albumen .....

(*d*) Sugar .....

(*e*) Casts .....

(*f*) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

15. (*i*) State the Services for which the candidate has been examined :—

(*a*) IAS & IFS.....

(*b*) IPS, Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Service .....

(*c*) Central Services, Class I & II .....

(*ii*) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in :—

(*a*) IAS & IFS .....

(*b*) IPS, Delhi Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service Manipur Police Service (*see* especially Service (*see* especially height, colour blindness and locomotive system).....

(*c*) Indian Railway Traffic Service. (*see* especially height, chest eye sight, colour blindness).

(*d*) Other Central Services Class I/II .....

(*iii*) Is the candidate fit for FIELD SERVICE.....

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(*i*) Fit

(*ii*) Unfit on account of.....

(*iii*) Temporary unfit on account of .....
.....

Place.....
Date.....

Chairman

Member

Member

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi-2, the 26th April 1968

RESOLUTION

No. F. 34(1)-*EV*/68.—It is announced for general information that the rates of interest on deposits, and also on balance, at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar Funds on the 31st March, 1968 are 5.10 per cent per annum in all accounts for the first Rs. 10,000 and 4.80 per cent per annum for any sums in excess of Rs. 10,000. These rates will be in force during the financial year beginning on the 1st April, 1968. The Funds concerned are : -

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The General Provident Fund (Defence Services).
3. The Secretary of State's Services (General Provident Fund).
4. The Indian Civil Service Provident Fund.
5. The Contributory Provident Fund (India).
6. The All India Services Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
8. The Indian Civil Service (N.E.M.) Provident Fund.
9. The Defence Services Officers' Provident Fund.
10. Other Miscellaneous Provident Fund (Defence).
11. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
12. The Military Engineering Services Provident Fund.
13. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
14. The Contributory Provident Fund (Defence).
15. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.

2. Necessary instructions will be issued separately by the Ministry of Railways (Railway Board) concerning the rates of interest applicable during the year in question to the balances in the various Provident Funds under the control of that Ministry.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. N. MALHOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 30th April 1968

RESOLUTION

No. 28(63)*Plant*(*A*)/66.—In modification of the Ministry of Commerce Resolution No. 28(63)Plant(A)/66 dated the 24th January, 1968 published in the Gazette of India regarding the appointment of a Committee under the Chairmanship of Shri P. C. Borooah to undertake a comprehensive study of the economic conditions and problems of the tea industry, Government of India have decided to extend the period for submission of the Committee's report up to the 30th June, 1968.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

B. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

New Delhi-1, the 23rd April 1968

ORDER

No. 51/1/65-*CL.II.*—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of section 209 of the Companies

Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri K. Aghoramurthy, Assistant Inspecting Officer, Calcutta, an officer of the Government of India, in the Ministry of Industrial Development & Company Affairs (Department of Company Affairs) for the purpose of said section 209.

M. K. BANERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING & URBAN DEVELOPMENT

(Department of Health)

New Delhi, the 27th April 1968

RESOLUTION

SUBJECT :—*Enquiry Committee to review the medical facilities in the Central Government hospitals in New Delhi.*

No. F. 10-41/67-H.—Reference this Ministry's Resolutions of even number dated the 16th November, 1967, 25th November, 1967, 15th December, 1967, 6th February, 1968 and 16th March, 1968, on the subject mentioned above. It has been decided to extend the term of the Committee up to the end of April, 1968. Other terms and conditions remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Ministries/Departments of the Government of India, Cabinet Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India and members of the Committee.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. N. MADHOK, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture—I.C.A.R.)

New Delhi, the 26th April 1968

No. 28(1)/67-CDN(I).—Under the provisions of Rule 75 read with Rules 77 and 7 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the Minister of Food and Agriculture has been pleased to nominate Dr. D. K. Desai, Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad, as a member of the Standing Committee for Agricultural Economic, Statistical and Marketing Research of the Council for the period from the 19th April 1968 to the 14th November, 1969 or till such time as his successor is nominated on the Committee by him, whichever period expires earlier, in place of Professor Ravi J. Mathai, Director of that Institute who was nominated on that Committee *vide* this Ministry's Notification No. 28(1)/66-CDN(I), dated the 18th November, 1966.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

New Delhi, the 20th April 1968

No. 11/1/67-CAI(1).—In pursuance of the Government of India, Ministry of Education, Resolution No. 11/1/67-CAI(1) dated the 15th December 1967, the undermentioned persons, elected by the Rajya Sabha/Lok Sabha, or nominated by the learned institutions/State Governments/the Chairman, from amongst recommendations received from Universities/the Government of India, as the case may be have been appointed Members of the Central Advisory Board of Archaeology :—

Members Elected by Parliament

1. Shri Hayatullah Ansari, M.P. (Rajya Sabha) H-1/3, River Bank Colony, Lucknow (U.P.) and 207, Vithalbhai Patel House, New Delhi.
2. Shri S. Kandappan, M.P. (Lok Sabha).
3. Shri H. N. Mukerjee, M.P. (Lok Sabha).

Nominee of All-India Oriental Conference

Dr. R. N. Dandekar, General Secretary, All-India Oriental Conference, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona-4.

State Governments Representatives

1. Shri Md. Abdul Waheed Khan, Director of Archaeology & Museums, *Andhra Pradesh*, Hyderabad.
2. The Director of Public Instruction, *Haryana, Chandigarh.*
3. Shri J. M. Nanavati, Director of Archaeology, *Gujarat* State, New Hirabagh, Dr. Saraswati's Bungalow, Ambavati, Ahmedabad.
4. Shri Chandrashekhar Krishna, Deputy Director of Archaeology, *Madhya Pradesh*, Bhopal.
5. Thiru R. Nagaswamy, Director of Archaeology, 60/10, Edward Elliots Road, Mylapore, *Madras-4.*
6. Dr. M. G. Dikshit, Director of Archives & Archaeology, *Maharashtra* State, Elphinstone College, Bombay-1.
7. Dr. M. Seshadri, Director of Archaeology in Mysore, Mysore 4.
8. Shri Pritmohinder Singh, Secretary to Government, Education & Languages Departments, *Punjab*, Chandigarh.
9. Shri Ram Chandra Singh, State Archaeological Officer, State Archaeological Department, *Uttar Pradesh*, Lucknow.
10. Shri P. C. Das Gupta, Director of Archaeology, *West Bengal*, Calcutta.

University Representatives

1. Prof. A. Aiyappan, Andhra University, Waltair (A.P.).
2. Dr. R. K. Dikshit, Prof. and Head of the Department of Ancient Indian History & Archaeology, and Dean, Faculty of Arts, Lucknow University, Lucknow.
3. Dr. S. R. Das, Head of the Department of Archaeology, Calcutta University, Calcutta.
4. Prof. K. D. Bajpai, Prof. & Head of the Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Saugar University, Sagar (M.P.).

Central Government nominees

1. Shri A. Ghosh, 9, Lodi Estate, New Delhi-3.
2. Prof. H. D. Sankalia, Deccan College Post-graduate and Research Institute, Poona.
3. Prof. Nurul Hasan, Aligarh Muslim University, Aligarh.
4. Shri A. K. Bhattacharya, Director, Indian Museum, Calcutta.
5. Shri V. D. Krishnaswami, Director, Salar Jung Museum, Hyderabad.

P. GANGULEE, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Transport Wing)

New Delhi, the 30th April 1968

RESOLUTION

PORTS

No. 9-PG(23)/68.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Calcutta for the year 1966-67. The following are the important features of the report :—

Financial Position

The Port Commissioners' revenue receipts for the year under review amounted to Rs. 2045.46 lakhs as against Rs. 1855.74 lakhs in the previous year.

The expenditure during the year amounted to Rs. 2357.02 lakhs as against Rs. 2030.04 lakhs in the previous year. The year thus ended with a deficit of Rs. 311.56 lakhs as against a deficit of Rs. 174.30 lakhs in the previous year. The deficit in 1966-67 despite the increases in Port charges was due to the fact that the benefit of the enhancement of port charges was not available in respect of the two increases for the full year and to lack of growth in traffic to absorb the rise in expenditure from enhancement of dearness allowance, interim relief recommended by the Wage Board, children's educational

allowance and reimbursement of tuition fees, *ex-gratia* payment in lieu of bonus and increase in debt charges to the extent of nearly Rs. 270 lakhs.

For financing capital works, the Commissioners borrowed Rs. 8.54 crores during the year. The total balances in the Revenue Reserve and other Funds as on the 31st March, 1967 amounted to Rs. 465.04 lakhs.

Traffic

The total imports and exports, which passed through the port during the year under review, were 5.79 million tonnes and 4.31 million tonnes respectively, as against the corresponding import and export figures of 5.28 million tonnes and 4.56 million tonnes for the year 1965-66.

Port Railway

The income derived from the Railways during the year 1966-67 amounted to Rs. 273.05 lakhs as against Rs. 272.34 lakhs in 1965-66.

Passenger Traffic

The number of passengers who embarked into and disembraked from seagoing vessels was 9,678 and 115 respectively. The corresponding figures for 1965-66 were 10,094 and 109 respectively.

Shipping

The number of vessels which entered the port in 1966-67 was 1,078 as against 1,023 in the previous year.

Haldia Anchorage

The anchorage was not used this year for lightening deep drafted foodgrain vessels. Only one vessel used the anchorage for topping up 2,520 tonnes of iron ore. Three super tankers however discharged a total quantity of 1,17,146 tonnes of foodgrains at Saugor Roads into Liberty Ships.

River Model Experiments

A number of studies were carried out by the Hydraulic Study Department on various problems of navigation. The experiments on models which were in progress related to proposed crossing over Hooghly at Calcutta, layout and alignment of spurs on western side of Nayachara Island to stabilise and improve Haldia Balari channel and the layout for the proposed Fish Harbour at Haldia.

Labour and Labour Welfare Measures

The Labour situation in the Port during the year under review continued on the whole to be peaceful except for lightning strikes and stoppages of work for short spells on occasions.

Port Charges

There were two major increases in port charges during the year, one estimated to bring an additional revenue of Rs. 150 lakhs per annum to cover the deficit in the previous year and another estimated to bring an additional revenue of Rs. 88 lakhs per annum to cover partially the extra expenditure of Rs. 150 lakhs from devaluation.

Hooghly Pilotage

The income from Pilotage during the year 1966-67 was Rs. 70.10 lakhs and the expenditure Rs. 64.12 lakhs resulting in a surplus of Rs. 5.98 lakhs.

Port Development

Expenditure during the year on Capital Works amounted to Rs. 985.86 lakhs.

Considerable progress was made during the year 1966-67 on the various Plan schemes. Important projects completed during the year were the construction of a grab dredger at a cost of Rs. 138 lakhs two 1,400 tonne hopper cargoes at a cost of Rs. 208 lakhs, a small suction dredger at a cost of Rs. 262 lakhs and replacement of No. 2 swing Bridge by an electrically operated bascule bridge at a cost of Rs. 110 lakhs.

Acknowledgement

Government view with satisfaction the work done by the Port Commissioners during the year under review.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Z. S. JHALA, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 27th April 1968

No. DWV 516(1)/67.—The Central Flood Control Board set up under the Government of India, Ministry of Irrigation and Power, Resolution No. DW.14(7)/54, dated the 8th September, 1954, as amended from time to time, is re-constituted as follows :—

Chairman

(i) Union Minister of Irrigation & Power.

Vice-Chairman

(ii) Union Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation, in charge of Agriculture.

Members

(iii) Member, Planning Commission, in charge of Irrigation.

(iv) Union Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power.

(v) Secretary, Ministry of Irrigation & Power.

(vi) Member Engineering (and *ex-officio* Secretary to Government), Ministry of Railways (Railway Board).

(vii) Director General, Road Development and Additional Secretary, Ministry of Transport.

(viii) Chairman, Central Water & Power Commission.

(ix) Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure).

(x) Director General of Observatories, India Metcorological Department.

(xi) One representative of each of the State Flood Control Boards, *i.e.*, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal.

Member-Secretary

(xii) Chief Engineer, Flood Control, Central Water & Power Commission.

The functions of the Central Flood Control Board will be as follows :—

(1) to lay down the general principles and policies in connection with floods and flood control measures;

(2) to consider and approve the Master Plan for flood control as submitted by the States or River Commission; and

(3) to arrange for necessary assistance in connection with investigation, planning and execution of flood control works.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, all the Ministries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, Department of Parliamentary Affairs, the Rajya/Lok Sabha Secretariat, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

K. P. MATHRANI, Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 26th April 1968

CORRIGENDUM

No. 14/35/64-*FC*.—In this Ministry's Resolution No. 14/35/64-FC. dated 28th March, 1968, regarding the setting up of the Enquiry Committee on Film Censorship *for* the words "Padmashri Smt. Nargis" occurring at Serial No. 11 of the list of Members, please *substitute* "Shrimati Nargis".

H. B. KANSAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968